UPSB010031002016

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, (एफ.टी.सी.), 14वां वित्त आयोग/ विशेष न्यायाधीश, (गैंगस्टर एक्ट), सोनभद्र।

पीठासीन अधिकारी– **हरिकेश कुमार,** (उच्चतर न्यायिक सेवा), UP1822

सत्र परीक्षण संख्या– 163/2016,

उत्तर प्रदेश राज्य

.......अभियोजन।

बनाम

1. **बुद्विनरायन धांगर** पुत्र रामविलास धांगर, उम्र 33 वर्ष, निवासी दरमा, थाना रामपुर बरकोनिया, जिला सोनभद्र,
2. **रमेश धांगर** पुत्र कैलाश, उम्र 25 वर्ष, निवासी दरमा, थाना रामपुर बरकोनिया, जिला सोनभद्र,
3. **दीनानाथ धांगर** पुत्र पच्चू धांगर, उम्र 35 वर्ष, निवासी करौदिया, थाना रामपुर बरकोनिया, जिला सोनभद्र,
4. **राधे उर्फ राधेश्याम धांगर** पुत्र विश्वनाथ, उम्र 35 वर्ष, निवासी दरमा, थाना रामपुर बरकोनिया, जिला सोनभद्र,
5. **अरूण धांगर** पुत्र रामकेवल, उम्र 20 वर्ष, निवासी दरमा, थाना रामपुर बरकोनिया, जिला सोनभद्र
6. **हरि प्रसाद** पुत्र गोरे उर्फ गोरेलाल, उम्र 32 वर्ष, निवासी दरमा, थाना रामपुर बरकोनिया, जिला सोनभद्र,
7. **रघुवर धांगर** पुत्र भोला, उम्र 45 वर्ष, निवासी दरमा, थाना रामपुर बरकोनिया, जिला सोनभद्र,
8. **विमलेश उर्फ अनिल** पुत्र प्रेमनाथ धांगर, उम्र 20 वर्ष, निवासी दरमा, थाना रामपुर बरकोनिया, जिला सोनभद्र व
9. **जटाशंकर धांगर** पुत्र दुखरन, उम्र 50 वर्ष, निवासी दरमा, थाना रामपुर बरकोनिया, जिला सोनभद्र

.......अभियुक्तगण।

मुकदमा अपराध संख्या–35/2016,
धारा–147, 323, 325, 427, 304, 504, 506,
सपठित धारा–149 भा.दं.सं.,
थाना–रामपुर बरकोनिया, जनपद सोनभद्र।

शिकायतकर्ता	शम्भूनाथ धांगर
अभियोजन पक्ष की ओर से	श्री ज्ञानेन्द्र शरण राय, डी.जी.सी. (फौजदारी) व श्री धनन्जय शुक्ल विशेष लोक अभियोजक
अभियुक्तगण की ओर से	श्री रमेश देव पाण्डेय (विद्वान अधिवक्ता)
अंतर्गत धारा	147, 323, 325, 427, 304, 504, 506, सपठित धारा–149 भा.दं.सं.

Digitally signed by HARIKESH KUMAR
Date: 2026.07.10 18:07:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Sonbhadra

मुकदमा अपराध संख्या	35/2016
पुलिस थाना	रामपुर बरकोनिया
जिला	सोनभद्र
अपराध की तिथि व समय	09.08.2016, समय 23:00 बजे
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि व समय	10.08.2016, समय 11:00 बजे
प्रेषित आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान की तिथि	18.11.2016
आरोप विरचन की तिथि	04.07.2017
अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत करने की तिथि	28.07.2017 से 24.12.2024 तक
बयान अं.धारा–313 दं.प्र.सं.	19.02.2025
सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने की तिथि	20.03.2025 से 09.04.2025 तक
अंतिम बहस की तिथि	25.06.2026
निर्णय पारित किये जाने की तिथि	10.07.2026
दण्डादेश पारित करने की तिथि	10.07.2026

–निर्णय–

1. अभियुक्तगण **1. रामकेवल धांगर,** 2. बुद्धिनरायन धांगर, 3. रमेश धांगर, 4. दीनानाथ धांगर, 5. राधे उर्फ राधेश्याम धांगर, 6. अरूण धांगर, 7. हरिप्रसाद धांगर, 8. रघुवर धांगर, 9. विमलेश उर्फ अनिल व 10. जटाशंकर के विरूद्ध थाना रामपुर बरकोनिया, जिला सोनभद्र की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध सं.–35/2016, अंतर्गत धारा–147, 323, 325, 427, 304 भा.दं.सं. के मामले में प्रेषित आरोप पत्र पर विचारण इस न्यायालय द्वारा किया गया।

अभियुक्त रामकेवल धांगर की दौरान विचारण मृत्यु हो चुकी है और न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध दिनांक 11.02.2025 को मामले की कार्यवाही उपशमित की जा चुकी है।

2. अभियोजन कथानक संक्षेप मे इस प्रकार है कि वादी मुकदमा शम्भूनाथ धांगर पुत्र बच्चन धांगर, निवासी ग्राम दरमा, थाना रामपुर बरकोनिया, जिला सोनभद्र द्वारा प्रभारी निरीक्षक, थाना रामपुर बरकोनिया, सोनभद्र को हस्तलिखित **तहरीर प्रदर्श क–1** इस कथन के साथ दिया गया कि ''वन की जमीन कब्जेदारी को लेकर मेरे गाँव के रामकेवल पुत्र बुद्धु, बुद्धि नारायण पुत्र रामविलास, रमेश पुत्र कैलाश, आरकेश पुत्र रामकेवल, दिनानाथ पुत्र पच्चू, अरुण पुत्र रामकेवल, राधे पुत्र विश्वनाथ, हरी प्रसाद पुत्र गोरे, जटाशंकर पुत्र दुखरन, रघुवर पुत्र भोला विमलेश पुत्र प्रेमनाथ ने **दिनांक 09.08.2016 को एक राय होकर लाठी डण्डा लेकर समय रात्री करीब 11 बजे मेरे घर के पास** आये। मेरे घर के मुख्य द्वार के ऊपर लाठी डण्डा से पीट–पीट कर खपडा फोड़ डाले, मेरी माँ जब निकली तो मेरी माँ सुदेश्वरी को लाठी डण्डों से सभी लोग मिलकर मारे, मेरे पिता बच्चन पुत्र स्व० नवजद्दी करवनियां की तरफ से आ रहे थे कि उनको भी लाठी डण्डा से मारे, जिससे मेरे पिता को काफी चोट आयी। मेरे ग्राम सभा करवनियां की मालती धाँगर पत्नी रामलाल धाँगर को भी इन लोगों ने लाठी डण्डा से मारा, मालती को भी चोटें आयी है। मेरे पिता के बाये हाथ में मारने से काफी चोटें आयी है, **मैं उस समय घर पर नहीं था।** जब घर पर आज दिनांक 10.08.2016 को घर पर आया तो घटना की

जानकारी हुयी। मैं अमने पिता व माता तथा मालती को लेकर थाने पर आया हूँ।'' रिपोर्ट लिखकर आवश्यक कार्यवाही करने की प्रार्थना की गयी।

3. वादी मुकदमा द्वारा दी गयी उक्त लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर थाना–रामपुर बरकोनिया, जिला–सोनभद्र में दिनांक 10.08.2016 को समय 11:00 बजे घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या–35/2016 **प्रदर्श क–2** अन्तर्गत धारा–147, 323, 427 भा0दं0सं0, अभियुक्तगण 1. रामकेवल धांगर, 2. बुद्धिनरायन धांगर, 3. रमेश धांगर, 4.आरकेश, 5. दीनानाथ धांगर, 6. राधे उर्फ राधेश्याम धांगर, 7. अरूण धांगर, 8. हरिप्रसाद धांगर, 9. रघुवर धांगर, 10 विमलेश उर्फ अनिल व 11. जटाशंकर के विरूद्ध दर्ज किया गया, जिसका तस्करा नकल रपट कायमी जी0डी0 संख्या–14 दिनांक 10.08.2012 को समय 11:00 बजे **प्रदर्श क–3** के रूप में किया गया। मुकदमा पंजीकृत होने के पश्चात् का. 73 विमलेश गुप्ता को मजरूब/मजरूबा बच्चन पुत्र नवजद्दी, सुदेशरी पत्नी बच्चन व मालती देवी पत्नी रामलाल को मेडिकल हेतु पी.एच. सी. चतरा के लिए रवाना किया गया। का. विमलेश प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चतरा से मेडिकल कराकर वापस आये और प्रकट किया गया कि दौरान उपचार मजरूब बच्चन पुत्र नवसद्दी की मृत्यु हो गयी। डाक्टर द्वारा चिट्ठी मजरूबी **प्रदर्श क–5** पर समय 12. 50 बजे मृत्यु होना अंकित किया गया तथा मजरूबा मालती देवी को एक्स–रे हेतु जिला अस्पताल, सोनभद्र रेफर किया गया। मृतक का शव प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र चतरा के परिसर में है। का. 73 विमलेश गुप्ता की वापसी, तस्करा नकल रपट कायमी जी.डी. 19, दिनांक 10.08.2016 को समय 14:00 बजे **प्रदर्श क–4** के रूप में किया गया। **मजरूब बच्चन की मृत्यु हो जाने के पश्चात् धारा 304 भा.दं.सं. की बढ़ोतरी की गयी।** मुकदमा पंजीकृत होने के पश्चात् विवेचक अपने हमराही कर्मचारीगण को साथ लेकर मय जिल्द पंचायतनामा व अन्य कागजात के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चतरा, सोनभद्र पहुंचे तथा वहां पर उपस्थित व्यक्तियों में से पंचान नियुक्त कर पंचायतनामा **प्रदर्श क–10** की कार्यवाही की गयी। पंचायतनामें के साथ अन्य प्रपत्र फार्म 13 **प्रदर्श क–11**, फार्म नं. 379 फोटो नाश **प्रदर्श क–12**, चिट्ठी आर,आई. व नमूना मोहर तैयार किया गया एवं शव को शील मुहर कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया।

4. विवेचक के द्वारा दौरान विवेचना साक्षियों के बयान धारा–161 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया एवं वादी व चोटहित की निशानदेही पर नक्शा नजरी घटनास्थल **प्रदर्श क–13** तैयार किया गया। मजरूबा मालती देवी की एक्स–रे रिपोर्ट के अवलोकन के पश्चात् विवेचक द्वारा **मजरूबा के दाहिने हाथ में फैक्चर होना के आधार पर धारा–325 भा.दं.सं. की बढ़ोतरी की गयी,** जिसका तस्करा नकल रपट कायमी जी.डी. सं. –9 दिनांक 22.08.2016 को समय 7:20 बजे **प्रदर्श क–14** के रूप में किया गया। **दौरान विवेचना अभियुक्त आरकेश उर्फ राकेश धांगर का अपचारी नाबालिग होने का तस्करा नकल रपट कायमी जी.डी. सं.–12 दिनांक 27.10.2016 को समय 9:45 बजे प्रदर्श क–15 के रूप में किया गया।** विवेचक द्वारा दौरान विवेचना एकत्रित किये गये सम्पूर्ण साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण 1. रामकेवल धांगर, 2. बुद्धिनरायन धांगर, 3. रमेश धांगर, 4. दीनानाथ धांगर, 5. राधे उर्फ राधेश्याम धांगर, 6. अरूण धांगर, 7. हरिप्रसाद धांगर, 8. रघुवर धांगर, 9. विमलेश उर्फ अनिल व 10. जटाशंकर के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–35/2016 में धारा–147, 323, 325, 427, 304 भा0दं0सं0 के तहत आरोप पत्र **प्रदर्श क–16** प्रेषित किया गया।

5. अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध **धारा–147, 323, 325, 427, 304 भा0दं0सं0 के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र** पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र के न्यायालय में प्रसंज्ञान लिया गया, जिस पर फौजदारी वाद संख्या 61598/2016 के रूप

मे पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्राप्त कराई गयीं। दिनांक 18.11.2016 को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र द्वारा अभियुक्तगण का मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया, जो सत्र परीक्षण संख्या 163/2016 के रूप मे पंजीकृत हुआ। प्रकरण माननीय सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र के आदेशानुसार अन्तरण द्वारा इस न्यायालय को दिनांक 25.05.2026 को विचारण हेतु प्राप्त हुआ।

6. सत्र न्यायालय, सोनभद्र द्वारा **दिनांक 04.07.2017** को अभियुक्तगण 1. रामकेवल धांगर, 2. बुद्धिनरायन धांगर, 3. रमेश धांगर, 4. दीनानाथ धांगर, 5. राधे उर्फ राधेश्याम धांगर, 6. अरूण धांगर, 7. हरिप्रसाद धांगर, 8. रघुवर धांगर, 9. विमलेश उर्फ अनिल व 10. जटाशंकर के विरूद्ध **आरोप अन्तर्गत धारा–147, 304, 323, 325, 427, 504, 506 सपठित धारा–149 भा0दं0सं0** के तहत विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने उपरोक्त आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की माँग की।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने हेतु मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षियों को परीक्षित कराया गया है:–

क.सं.	**बतौर पी.डब्लू.**	**साक्षी का नाम**	**साक्षी का प्रकार**
01.	पी.डब्लू.–1	शम्भूनाथ धांगर	वादी मुकदमा
02.	पी.डब्लू.–2	सुदेश्वरी	चोटहिल/चक्षुदर्शी
03.	पी.डब्लू.–3	मालती	चोटहिल/चक्षुदर्शी
04.	पी.डब्लू.–4	कलिक देव धांगर	चक्षुदर्शी साक्षी
05.	पी.डब्लू.–5	राम औतार गोड़	चक्षुदर्शी साक्षी
06.	पी.डब्लू.–6	रामलाल	चक्षुदर्शी साक्षी
07.	पी.डब्लू.–7	हे.का. संतलाल	एफ.आई.आर. लेखक/पुलिस साक्षी
08.	पी.डब्लू.–8	डॉ. मनोज कुमार	चिकित्सक
09.	पी.डब्लू.–9	डॉ. के.के. राय	चिकित्सक
10.	पी.डब्लू.–10	डॉ. दयाशंकर	चिकित्सक (पोस्टमार्टम)
11.	पी.डब्लू.–11	राजेन्द्र सिंह यादव	विवेचक/पुलिस साक्षी

8. अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में अभियोजन की ओर से सिद्ध किये गये अभियोजन प्रपत्र निम्नलिखित हैं:–

क.सं.	**द्वारा सिद्ध किया गया**	**प्रदर्श प्रपत्र**	**प्रदर्श क–**
01.	पी.डब्लू.–1, वादी मुकदमा शम्भूनाथ	तहरीर	1
02.	पी.डब्लू.–7, हे.का. संतलाल	प्रथम सूचना रिपोर्ट, नकल रपट व कायमी मुकदमा जी.डी, नकल रपट दिनांक 10.08.2016	2, 3, 4
03.	पी.डब्लू.–8, डॉ. मनोज कुमार सिंह	प्रार्थना पत्र प्रभारी चिकित्साधिकारी, मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट,	5, 6, 7
04.	पी.डब्लू.–9, डॉ. के. के. राय	एक्स–रे रिपोर्ट	8

05.	पी.डब्लू.–10, डॉ. दयाशंकर	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	9
06.	पी.डब्लू.–11, उ.नि. राजेन्द्र सिंह यादव	पंचायतनामा, पुलिस फार्म सं. 13 (चिट्‌ठी आर–आई), फार्म नं. 379 (फोटो नाश), नक्शा नजरी, नकल रपट दिनांकित 22.08. 2016, नकल रपट दिनांकित 27.10.2016, आरोप पत्र	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

अभियोजन की ओर से सिद्ध किये गये वस्तु प्रदर्श निम्नलिखित है–

क.सं.	**द्वारा सिद्ध किया गया**	**वस्तु**	**वस्तु प्रदर्श**
01.	पी.डब्लू.–9, डॉ. के.के. राय	एक्स–रे प्लेट	1
02.	पी.डब्लू.–9, डॉ. के.के. राय	एक्स–रे प्लेट	2

9. अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण 1. बुद्धिनरायन धांगर, 2. रमेश धांगर, 3. दीनानाथ धांगर, 4. राधे उर्फ राधेश्याम धांगर, 5. अरूण धांगर, 6. हरिप्रसाद धांगर, 7. रघुवर धांगर, 8. विमलेश उर्फ अनिल व 9. जटाशंकर धांगर का बयान धारा–313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया।

10. अभियुक्तगण 1. बुद्धिनरायन धांगर, 2. रमेश धांगर, 3.दीनानाथ धांगर, 4. राधे उर्फ राधेश्याम धांगर, 5. अरूण धांगर, 6. हरिप्रसाद धांगर, 7. रघुवर धांगर, 8. विमलेश उर्फ अनिल व 9. जटाशंकर ने अपने–अपने बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 मे अभियोजन कथानक को गलत बताया है। साक्षी पी.डब्लू.–1 लगायत पी.डब्लू.–9 के बयान को गलत कहा, साक्षी पी.डब्लू.–10 के बयान के संबंध में जानकारी नहीं होना कहा गया, साक्षी पी.डब्लू.–11 के बयान के संबंध में गलत विवेचना करना कहा गया, मुकदमा रंजिशन चलना कहा गया तथा अतिरिक्त कथन में गलत ढंग से फंसाये जाने का कथन किया गया है।

11. अभियुक्तगण की ओर से अपने बचाव हेतु सफाई साक्ष्य में डी.डब्लू.–1 मुनेश्वर, डी.डब्लू.–2 रामबहाल व डी.डब्लू.–3 रामदिहल को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया, जिनसे विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी है।

12. दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अपनी सफाई में अभियुक्तगण की ओर से सूची 107ख से मु.अ.सं.–35/2016 उपरोक्त से संबंधित किशोर अपचारी से संबंधित पत्रावली 53/2016 राज्य बनाम आरकेश न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड, सोनभद्र में हुए साक्षी पी. डब्लू.–1 शम्भूनाथ, पी.डब्लू.–2 सुदेश्वरी पत्नी बच्चन, पी.डब्लू.–3 रामलाल, पी.डब्लू.–4 मालती, पी.डब्लू.–5 कलिकदेव, पी.डब्लू.–6 राम औतार के बयानों की सत्यप्रतियां, मु.अ. सं.–494/2009, अं.धारा–395 भा.दं.सं., थाना पन्नूगंज, सोनभद्र की प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति, मु.अ.सं.–788/10, अं.धारा–392, 504, 506 भा.दं.सं., थाना पन्नूगंज की प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति एवं प्रार्थना पत्र सं.–391/2010, अं.धारा–156(3) दं.प्र. सं., बुद्धिनरायन बनाम शम्भूनाथ आदि, मु.अ.सं.–368/2010, अं.धारा–147, 349, 323, 504 भा.दं.सं., थाना पन्नूगंज, सोनभद्र, प्रार्थना पत्र थानाध्यक्ष पन्नूगंज द्वारा ग्राम रोजगार सेवक, पन्नूगंज दिनांकित 09.09.2010, बुद्धिनरायन की एम.एल.पी.सी. दिनांकित 09.09. 2010 की छायाप्रतियां व 5 रंगीन फोटोग्राफ बावत् घटनास्थल दाखिल किये गये है।

13. हस्तगत सत्र परीक्षण के सम्यक् निस्तारण हेतु अभियोजन की ओर से परीक्षित किये गये साक्षियों का साक्ष्य निम्नवत है, जिरह में किये गये बयान का उल्लेख यथास्थान किया जायेगाः–

14. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू.–1 (वादी मुकदमा) शम्भूनाथ** ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 30.03.2019 में सशपथ बयान किया है कि मेरे गांव के बगल में जंगल की जमीन स्थित है, उसमें से कुछ जमीन पर मेरा व मेरे पिता तथा गांव के कई लोगों का सामूहिक रूप से कब्जा था और सभी लोग अपने–अपने जगह पर जोत–कोड़ कर खेती गृहस्थी कर रहे थे। मेरे गांव के रामकेवल धांगर पुत्र बुद्धु, बुद्धिनारायण पुत्र रामबिलास, रमेश पुत्र कैलाश, आरकेश पुत्र रामकेवल, दीनानाथ पुत्र पच्चु, अरुण पुत्र रामकेवल, राधे पुत्र विश्वनाथ, हरिप्रसाद पुत्र गौरे, जटांशंकर पुत्र दुखरन, रघुवर पुत्र भोला व विमलेश पुत्र प्रेमनाथ, जो मेरे गांव के रहने वाले हैं। हम लोगों के जंगल के कब्जे वाली जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते थे। हम लोगों ने उस जमीन को कब्जा करने से उनकों रोक रहा था और कहा था कि जंगल में तमाम जमीन है उस पर जाकर कब्जा कर लो। उसी रंजिश को लेकर दिनांक 09.08.2016 को एक राय होकर लाठी डन्डा से लेस होकर समय करीब ग्यारह बजे रात में उपरोक्त सभी मुल्जिमान मेरे घर पर आये और दरवाजे पर आकर लाठी–डन्डा से पीट–पीट कर खपड़ा पीटने लगे। पीटने की आवाज सुनकर जब मेरी मां सुदेश्वरी व मेरा लड़का कलिक देव बाहर निकले मेरी मां अपने हाथ में टार्च ली थी, टार्च जलायी तो गांव के उपरोक्त सभी मुल्जिमान मां को गाली गुप्ता देने लगे। मना की तो लाठी डन्डा से मारने लगे। इसके बाद मुल्जिमान घाघर नदी की तरफ जाने लगे कि रास्ते में मेरे पिता बच्चन व साथ में राम अवतार करौदियां गांव की तरफ से आ रहे थे कि उनों भी रास्ते में मुल्जिमान रामकेवल धांगर पुत्र बुद्धु, बुद्धिनारायण पुत्र रामबिलास, रमेश पुत्र कैलाश, आरकेश पुत्र रामकेवल, दीनानाथ पुत्र पच्चु, अरुण पुत्र रामकेवल, राधे पुत्र विश्वनाथ, हरिप्रसाद पुत्र गौरै, जटांशंकर पुत्र दुखरन, रघुवर पुत्र भोला व विमलेश पुत्र प्रेमनाथ लाठी डन्डा, लात मुक्का से मारने लगे। शोरगुल पर मालती देवी पत्नी रामलाल मौके पर आकर उन लोगों को मारने से मना की तो उसको भी उपरोक्त मुल्जिमान लाठी डन्डा व लात मुक्का से मारने लगे। घटना की रात मैं घर पर नहीं था। सुबह जब मैं आठ बजे घ ार पर पहुँचा तो मेरे पिता बच्चन ने घटना के बारे में मुझे जानकारी दिया। इसके बाद मैं मालती देवी, राम अवतार गोंड से घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद अपने पिता, माता, व मालती देवी को प्रार्थना पत्र लिखकर साथ में थाना रामपुर बरकोनियां गया था। थाने में प्रार्थना पत्र मैंने दिया था। इसके बाद पुलिस के लोग मेरा मुकदमा दर्ज किये थे और मेरे माता–पिता व मालती देवी की चोटों का दवा इलाज और मेडिकल प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र चतरा में कराये थे। डाक्टर साहब ने भर्ती किसी को नहीं किया था। मालती देवी को जिला अस्पताल लोढ़ी में एक्स–रे कराने के लिये रेफर किये थे। मेरे पिता बच्चन की दवा इलाज के दौरान चतरा अस्पताल में मृत्यु हो गयी थी। थाने में दिये गये प्रार्थना पत्र की मूल प्रति कागज संख्या 3अ/6 पत्रावली में संलग्न है, जो मेरे लेख हस्ताक्षर में है जिसको मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। पिता की मृत्यु के पश्चात् उनके शव का पंचनामा प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र चतरा में पुलिस के लोगों ने किया था। मेरे पिता को बायें हाथ, पीठ, सीने, व दोनों पैर के घुटने के नीचे चोटें आयी थी। पंचनामा पर मेरा हस्ताक्षर है जिसकों मैं तस्दीक करता हूँ। घटना के बाबत् पुलिस के लोगों ने बयान लिया था।

15. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू.–2 सुदेश्वरी** ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 21.08.2019 में सशपथ बयान किया है कि घटना के दिन घर पर मैं

और मेरा नाती कलिक देव, जिसकी उम्र लगभग 12 साल होगी थे। मेरे पति बच्चन उस दिन करमनिया गाँव गये हुए थे। मेरा लड़का शम्भू ग्राम सिल्थम गया हुआ था। घटना दिनांक 09.08.2016 को रात्रि लगभग 11 बजे की है। मैं और मेरा नाती घर में सोये हुए थे कि मेरे दरवाजे पर खपड़ा पीटने व गाली गलौज की आवाज सुनाई देने लगी। तब मैं और मेरा नाती कलिक देव टॉर्च लेकर बाहर निकले तो देखा कि दरवाजे पर गाँव के राम केवल अरुण, हरकेश, रमेश, रघुवर राधेश्याम, हरि प्रसाद, बुद्धिनरायन, जटाशंकर, विमलेश व दीनानाथ मेरा खपडा लाठी–डन्डा से पीट रहे थे। मैंने और मेरे नाती ने खपड़ा पीटने से मना किया तो मुल्जिमान मुझे लाठी–डन्डा से मारने लगे। मैं घर के अन्दर भागी और कह रहे थे कि तुम लोग जंगल की जमीन जिस पर तुम लोगों का कब्जा है, उसे छोड़ कर भाग जाओ। इसके बाद मुल्जिमान जब वापस हुए तो रास्ते में मेरे पति व रामअवतार करमनियां गाँव से घर आ रहे थे, को मिल गये और उनको सभी मुल्जिमान घाघर नदी में छेक कर लाठी–डन्डा व लात–मुक्का से मारने लगे। जब शोरगुल की आवाज आने लगी तब में घर के पीछे कुछ दूरी से देखी कि सभी लोग एकराय होकर मेरे पति को मार रहे थे। मैं डर के मारे अपने पति को बचाने नहीं गयी थी। रात में ही गाँव घर के लोगों के सहयोग से मेरे पति को घर लाया गया। रात में साधन की व्यवस्था न होने के कारण न तो में अस्पताल गयी और न ही थाने पर गयी। सुबह मेरा लड़का आया। अपने पति के साथ थाने पर हम लोग गये थे। थाने पर प्रार्थना पत्र दिया गया था। इसके बाद पुलिस के लोग दवा इलाज के लिये अस्पताल भेजे थे। दवा इलाज के दौरान मेरे पति की सरकारी अस्पताल तियरा में मृत्यु हो गयी। मेरे पति घर पर व थाने पर दारोगा जी से बताये थे कि उपर्युक्त सभी मुल्जिमान जंगल की जमीन जिस पर हम लोगों का पहले से कब्जा है, उसी को कब्जा करना चाहते थे मैंने मना किया था, इसी कारण मुझे मारे–पीटे थे। उसी रात सभी मुल्जिमान गाँव की ही मालती को उसके घर जाकर मारे पीटे थे, जिससे उसका हाथ टूट गया था। मारपीट में मुझे चोटें आयी थी। पुलिस ने मेरा व मालती का मेडिकल कराया था। घटना को मैंने देखा था। घटना के बारे में पुलिस ने मेरा बयान लिया था।

16. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू.–3 मालती** ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 04.05.2022 में सशपथ बयान किया है कि घटना दिनांक 09.08.2016 की है कि मैं मजदूरी करके वापस अपने घर आयी हुयी थी। मेरे पति अन्य मजदूरों के इंतजाम हेतु ग्राम करवनियां में ही गये हुये थे। खाने के लिए मैं उनका इंतजार कर रही थी। रात्रि काफी हो गयी थी। लगभग 11:00 बजे रात्रि का समय था कि अचानक नदी की तरफ से हल्ला–गुल्ला, चीखपुकार सुनाई पड़ी। तब मैं लाइट/टार्च लेकर नदी के तरफ बढ़ी और देखा कि बांस के झुरमुट के बाद नदी की तरफ दरमा गांव के बच्चन धांगर को दीनानाथ, रामकेवल, आरकेश व अरूण पुत्रगण रामकेवल, रमेश, रघुवर पुत्र भोला, विमलेश, जटाशंकर, हरिप्रसाद, राधेश्याम तथा बुद्धिनारायण एकराय होकर अपने हाथों में लिए लाठी–डण्डा से मार रहे थे। मेरे गांव करवनियां के रामऔतार को मुल्जिमान ने धमकी दिया कि तब वो भागने लगे। इतने में घटना स्थल के नजदीक पहुंच गयी और टार्च की रोशनी में सभी मुल्जिमान को देखा व पहचाना तथा मुलजिमान से कहा कि तुम लोग बच्चन धांगर को क्यों मार रहे हो। इसी पर सभी मुल्जिमान एकराय होकर मुझे दौड़ा लिये। तब मैं भागकर अपने घर आयी थी कि थोड़ी देर बाद सभी मुलजिमान मेरे घर आ गये और मुझसे कहने लगे कि तुम और तुम्हारा पति बहुत नेता बनते हो और यह भी पूंछा कि तुम्हारा पति रामलाल कहाँ है। तब मैंने कहा कि मेरे पति गांव में गये है और मैं उन्हीं का इंतजार कर रही थी कि हल्ला–गुल्ला सुनकर मैं नदी की तरफ गयी थी और आप लोगों द्वारा मारत–पीटते देखकर, मैंने मारने

पीटने से मना किया था। इसी बात पर सभी लोग एकराय से बहुत नेता बनती है, कहते हुए, मुझे लाठी डण्डे से मारने लगे, जिससे मुझे दाहिनी जांघ तथा दाहिनी कलाई व दाहिनी हथेली में गंभीर चोटें आयी थी। मेरा हाथ भी टूट गया था। अगले दिन सुबह बच्चन का लड़का शम्भू हमको तथा सुदेश्वरी व बच्चन को लेकर थाने पर गया था, जहां रिपोर्ट लिखे जाने के बाद हम लोगों को पुलिस के लोगों द्वारा चतरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर भेजा गया था। जहां बच्चन की मृत्यु हो गयी तथा मुझे गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल, लोढ़ी भेज दिया गया, जहां मेरा एक्स–रे हुआ और प्लास्टर बांधा गया था। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

17. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू.–4 कलिकदेव धांगर** ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 21.06.2022 में सशपथ बयान किया है कि घटना दिनांक 09.08.2016 की है कि लगभग 11:00 बजे रात्रि का समय था। घटना के समय में पढ़ाई नहीं कर रहा था। घटना के समय मेरे पिताजी मेरे पिता शम्भू नाथ घर पर नहीं थे, कहीं बाहर गये थे, उस समय घर पर मैं और मेरी दादी सुदेश्वरी देवी थी। उस समय मैं, मेरी दादी खाना खाकर घर में सो रहे थे। तभी मेरी दादी ने करीब 11:00 बजे रात्रि में मुझे जगाया और कहीं कि कोई खपड़ा पीट रहा है, चलो देखा जाय कौन है। तब मैं दादी के साथ टार्च लेकर गया तो दादी ने दरवाजा खोला और मैंने टार्च जलाकर देखा तो मेरे गांव के रामकेवल, बुद्धिनरायन, अरूण, आरकेश, रघुवर, रमेश, राधे, हरिप्रसाद, विमलेश, जटाशंकर तथा दीनानाथ ये सभी लोग अपने हाथ में लाठी–डण्डा लिये खपड़ा पीट रहे थे। तब हम लोग मना किये तो उक्त सभी मुल्जिमान बोले कि तुम लोग जंगल विभाग की जमीन कब्जा किये हो, हम लोग भी कब्जा करेगें, ज्यादा बोलोगे तो मारेंगे। तब मुल्जिमान मेरी दादी को मारने लगे और मैं डर के मारे घर के अंदर भाग गया। थोड़ी देर बाद सभी मुल्जिमान ग्राम करौंदिया की तरफ चले गये। तब मेरी दादी ने मुझसे बताया कि उपरोक्त सभी लोग तुम्हारे दादा को पूंछ रहे थे। तब मेरी दादी ने बताया कि मैंने डर के मारे उन लोगों को बता दिया कि तुम्हारे दादा ग्राम करौदिया गये हैं। उसके लगभग 02 घण्टे बाद ग्राम करौदिया के रामऔतार गोड़ ने आकर बताया कि तुम्हारे दादा को वही लोग मारे हैं। तब मैं और मेरी दादी गांव में अगल बगल के लोगों को साथ लेकर जहाँ मेरे दादा चोटहिल हालत में पड़े हुए थे, गये। तब देखा कि मेरे दादा चोट लगने के कारण बहुत गंभीर हालत में थे और दादा जी को वहाँ से टेककर अपने घर ले आये थे। मेरे दादा जी को मुल्जिमानों के मारने से दोनों पैर के घुटनों के नीचे, बांये हाथ के बांह में, बांये तरफ सीने में तथा पीठ पर गंभीर चोटें आयी थी। तब मेरी दादी ने मेरे पिताजी शम्भूनाथ को सूचना देकर बुलाया, जो दूसरे दिन सुबह दिनांक 10.08.2016 को घर आये थे। तब मैंने और मेरी दादी ने अपने पिता को घटना के बारे में सारी बात बताई थी। तब मेरे पिताजी घटना की सूचना थाना रामपुर बरकोनिया में दिये थे। मुझे, दादी, मालती व मेरे दादा को पिताजी थाना पर ले गये थे और उसके बाद अस्पताल ले गये थे। दारोगा जी ने घटना के संबंध में मुझसे पूछताछ किया था।

18. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू.–5 रामऔतार गोड़** ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 14.07.2022 में सशपथ बयान किया है कि मैं पढ़ा–लिखा नहीं हूं। मैं अंगूठा लगाता हूं। यह घटना आज से लगभग 06 वर्ष पुरानी है। घटना के समय भादों का महीना था। यह घटना रात के लगभग 11:30 बजे हुई थी। घटना वाले दिन रात लगभग 10:00 बजे बच्चन धांगर, साकिन दरमा, थाना रामपुर बरकोनिया, सोनभद्र मेरे घर आये थे। रात में लौटते समय देर ज्यादा हो चुकी थी। इसलिए मैं भी उन्हें छोड़ने के लिए हाथ में टार्च लेकर उनके साथ साथ चला और नदी तक पहुंचा था कि तभी बसखार में से आहट सुनाई पडी, तब मैं टार्च जला कर देखा तो मुल्जिमान

दीनानाथ, रामकेवल तथा आरकेश व अरुण पुत्रगण रामकेवल, रमेश, रघुवर पुत्र भोला, विमलेश, जटाशंकर, हरिप्रसाद, राधेश्याम तथा बुद्धिनारायण सभी अपने हाथ में लाठी–डण्डा लिए थे तथा नदी की तरफ जा रहे बच्चन धांगर को सभी मिलकर मारने लगे, जिससे बच्चन धांगर घायल होकर वहीं पर गिर गये थे। मैं डरवश वहीं झुरमुट में छुपकर घटना को देख रहा था। रात उजली थी। जब मुल्जिमान बच्चन को मारकर गांव करौंदिया की तरफ गये तो मैं बच्चन को जाकर, उठाने का प्रयास किया लेकिन बच्चन धांगर नहीं उठ पाये तब मैं उनके घर जाकर सूचना दिया। तब बच्चन धांगर की पत्नी तथा उनका नाती व उनके गांव के अन्य लोग घटना स्थल पर आये और बच्चन घांगर को उठवाकर उनके घर पहुंचाया गया। घटना के बाद पुलिस ने मेरा बयान लिया था।

19. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू.–6 रामलाल** ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 13.10.2022 में सशपथ बयान किया है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, अगूंठा लगाता हूं। घटना आज से करीब छः वर्ष पहले की है। घटना 09 तारीख की है, अगस्त का महीना था, रात के लगभग 11:30–12:00 बज रहे थे। मैं अपने घर के बगल में गया हुआ था कि अचानक मेरे घर की ओर से तेज आवाज आने लगे और मेरी औरत मालती की तेज चीख सुनाई पड़ी। तब मैं टार्च जलाकर, दौड़कर अपने घर की ओर बढ़ा और टार्च की रोशनी में देखा कि मेरी औरत मालती को दीनानाथ, रामकेवल धांगर, अरुण, आरकेश, रमेश, रघुवर, राधेश्याम, हरिप्रसाद, बुद्धिनारायण, जटाशंकर तथा विमलेश एकराय होकर लाठी, डण्डा से मार रहे थे। तब मैं जोर–जोर से मदद के लिए गुहार लगाया और चिल्लाया तब मुल्जिमान भाग गये। देर रात हो गयी थी इसलिये मैं अपनी चोटहिल पत्नी मालती को लेकर अस्पताल नहीं गया था। इसके अगले दिन सुबह शम्भूनाथ मेरी पत्नी मालती, अपनी माता सुदेश्वरी तथा अपने पिता बच्चन को लेकर थाना रामपुर बरकोनिया, सोनभद्र गये और थाने पर घटना की सूचना दिया गया था। तब थाने के लोगों के द्वारा घायलों को सरकारी अस्पताल, तियरा (चतरा), सोनभद्र ले जाया गया था, जहाँ दवा इलाज के दौरान शम्भूनाथ के पिता बच्चन की मृत्यु हो गयी तथा मेरी औरत मालती का दाहिना हाथ टूट गया था, जिसका एक्स–रे लोढ़ी, सरकारी अस्पताल में हुआ था। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

20. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू.–7 हे.कां. संतलाल** ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 23.06.2023 में सशपथ बयान किया है कि मैं दिनांक 10.08.2016 को बतौर हेड कांस्टेबल थाना रामपुर बरकोनिया में तैनात था कि उसी दिन वादी मुकदमा श्री शम्भूनाथ धांगर पुत्र बच्चन धांगर एक किता लिखित प्रार्थना पत्र बदस्तखती खुद थाना कार्यालय करीब 11:00 बजे दिन उपस्थित होकर प्रस्तुत किया कि वन की जमीन कब्जेदारी को लेकर उसके गांव के रामकेवल धांगर, दीनानाथ अरूण, राधे, हरिप्रसाद, जटाशंकर, रघुवर और विमलेश तथा रमेश व आरकेश ने मिलकर दिनांक 09.08.2016 को रात्रि करीब 11:00 बजे आकर मॉ सुदेश्वरी देवी, पिता बच्चन तथा ग्राम सभा करवनियां की मालती धांगर को भी लाठी–डण्डा से मार पीटकर घायल कर दिये हैं। इस प्रार्थना पत्र के आधार पर, जो शामिल पत्रावली कागज संख्या–3अ/6 है, जिस पर पहले से प्रदर्श क–1 पड़ा हुआ है। मेरे द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–35/2016, अन्तर्गत धारा–147, 323, 427 भा.दं.सं, थाना रामपुर बरकोनिया, सोनभद्र सी.सी.टी.एन.एस. कम्प्यूटर पर कां० मुन्सी इमरान खान के द्वारा शब्दशः बोलकर दर्ज कराया गया था। वह मूल एफ.आई.आर. शामिल पत्रावली कागज संख्या–3अ/2 लगायत अ/5 है, जिसकी में पहचान करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। इस मामले की कायमी मुकदमें की जी०डी० मेरे द्वारा बहवाले रपट संख्या–14, समय 11:00 बजे, दिनांक 10.08.2016 किता किया गया था, जिसकी एक ही प्रोसेस में तैयार प्रमाणित कार्बन प्रति

शामिल पत्रावली कागज संख्या—3अ/20 है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पहचान करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क—3** डाला गया। कायमी जी०डी० व चिक एफ.आई. आर. दर्ज कराये जाने के बाद मजरूबान बच्चन, सुदेश्वरी, मालती देवी की मजरूबी चिट्ठी बनाकर कां० विमलेश गुप्ता को देकर मेडिकल परीक्षण हेतु अस्पताल भेजा गया था। तत्पश्चात् जब कां० मुहर्रिर दीपक पाण्डेय कार्यलेख पर थे, उसी समय करीब 14:00 बजे दिनांक 10.08.2016 को ही कां० विमलेश गुप्ता वापस आकर बताये कि दौरान इलाज बच्चन धांगर की मृत्यु हो गयी है। इस सूचना पर कां० मुहर्रिर दीपक पाण्डेय के द्वारा रपट संख्या—19, समय 14.00 बजे दिनांकित 10.08.2016 को इस मामले में धारा—304 आई.पी.सी. की बढ़ोत्तरी किया गया। कॉ० मुहर्रिर दीपक पाण्डेय मेरे साथ थाना रामपुर बरकोनिया में बहुत दिन कार्य किये हैं, मैं उनके हस्तलेख को पहचानता हूं। शामिल पत्रावली कागज संख्या—3अ/21 वही नकल रपट संख्या—19, समय 14:00 बजे, दिनांकित 10.08.2016 की एक ही प्रोसेस में तैयार कार्बन प्रति है, जो कां० मुहर्रिर दीपक पाण्डेय के हस्तलेख में है, जिसकी मैं पहचान करता हूं जिस पर **प्रदर्श क—4** डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

21. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू.—8 डॉ. मनोज कुमार सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 10.07.2023 में सशपथ बयान किया है कि दिनांक—10.08.2016 को बतौर चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चतरा, सोनभद्र पर तैनात था कि उसी दिन समय करीब 12:50 पी.एम. पर मजरूब बच्चन धांगर पुत्र नवजद्दी, ग्राम दरमा, थाना रामपुर बरकोनिया को मजरूबी चिट्ठी के साथ थाना रामपुर बरकोनिया सोनभद्र के कां० विमलेश गुप्ता द्वारा लाया गया था। जांच करने पर पता चला की वह मृत अवस्था में स्वास्थ्य केन्द्र पर लाया गया था। उनकी मजरूबी चिट्ठी पर मेरे द्वारा ब्राट डेड (क्लीनिकली) अंकित किया गया था। वह अंकन मजरूबी चिट्ठी पर अंकित किया गया था, जो मूलरूप से शामिल पत्रावली कागज संख्या—3अ/22 है, जिस पर मेरे लेख में उक्त अंकन है और मेरा हस्ताक्षर है, जिसकी मैं पहचान करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क—05** डाला गया। इसके बाद मेरे द्वारा थाना रामपुर बरकोनिया सोनभद्र के कां० विमलेश गुप्ता द्वारा घायलावस्था में मजरूबी चिट्ठी के साथ लायी गयी, मालती देवी उम्र करीब 40 वर्ष पत्नी रामलाल घांगर निवासी करौदिया थाना रामपुर बरकोनिया, जिला सोनभद्र उ०प्र० का चिकित्सकीय परीक्षण उसी दिन दिनांक—10.08.2016 को समय 01:10 पी.एम. पर किया गया था। वह चिकित्सकीय परीक्षण मूलरूप से शामिल पत्रावली कागज संख्या 03अ/50 है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पहचान करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क—06** डाला गया। मैंने **मजरुबा मालती देवी के शरीर पर तत्समय निम्नांकित चोटें पायी थी—**

(I) फटा हुआ घाव दाहिने हाथ की हथेली (Palmar aspect) पर जिसका आकार 1.5 से.मी. X 0.2 से.मी. X मांस पेसियों तक गहरा था। हाथ और कलाई में सूजन मौजूद थी, रक्त का मुलायम थक्का मौजूद था।

(II) लाल रंग का नीलगू निशान दाहिने जंघा पर जिसका आकार 90 से.मी X 20 से.मी. था जो कि दाहिने घुटने से 300 से.मी. ऊपर बाहर की तरफ मौजूद था। उपरोक्त दोनों चोटों को निरीक्षण के अधीन रखा गया तथा दाहिने जंघा और दाहिने हाथ व कलाई के एक्स—रे की सलाह दी गयी मजरूब के एक्सरे तथा बेहतर चिकित्सा व्यवस्था हेतु मजरूब को जिला चिकित्सालय राबर्ट्सगंज रेफर किया गया। मेरी राय में मजरूब मालती को आयी चोटें किसी सख्त कुंदालय के द्वारा पहुंचाई गयी थी जिसकी अवधि लगभग आधे दिन की थी।

इसके बाद मेरे द्वारा थाना रानपुर बरकोनिया सोनभद्र के कां० विमलेश गुप्ता द्वारा घायलावस्था में मजरूबी चिट्ठी के साथ लायी गयी, सुदेश्वरी उम्र करीब 50 वर्ष, पत्नी बच्चन धांगर निवासी दरमा थाना रामपुर बरकोनिया, जिला सोनभद्र का चिकित्सकीय परीक्षण उसी दिन दिनांक 10.08.2016 को समय 01:25 पी.एम. पर किया गया था। वह चिकित्सकीय परीक्षण मूलरूप से शामिल पत्रावली कागज संख्या–03अ/49 है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पहचान करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–07** डाला गया **मजरूबा सुदेश्वरी के शरीर पर तत्समय निम्नांकित चोटें पायी थी–**

(I) दाहिने जंघा पर दर्द की शिकायत,

(II) दाहिने भुजा पर दर्द की शिकायत

उपरोक्त दोनों चोटों में कोई बाहरी चोट के निशान नहीं पाये गये। उपरोक्त दोनों चोटों को निरीक्षण के अधीन रखा गया, जिनके कारण और समय निर्धारण को बताया जाना सम्भव नहीं था। प्रदर्श क–07 व प्रदर्श क–08 तैयार किये जाने के उपरान्त मैनें सम्बंधित घायलों के निशानी अंगूठा लगवाये थे और प्रमाणित किया था। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

22. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू.–9 डॉ. के.के. राय** ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 16.10.2023 में सशपथ बयान किया है कि मैं दिनांक 11.08. 2016 को बतौर रेडियोलाजिस्ट जिला संयुक्त चिकित्सालय, सोनभद्र में कार्यरत था कि उसी दिन आरक्षी विमलेश गुप्ता थाना रामपुर बरकोनिया, सोनभद्र द्वारा मालती देवी पत्नी रामलाल धांगर, निवासी करौंदिया, थाना रामपुर बरकोनिया, जनपद सोनमद उम्र 40 वर्ष की एक्स–रे कराने हेतु मेरे सम्मुख प्रस्तुत किया गया, जिसे चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चतरा द्वारा रेफर किया गया था। मजरूबा के निम्न दो एक्स–रे किये गए, जो एम.एल. नंबर 592आर. थे, जिसकी एक्स–रे रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गयी थी, जो शामिल पत्रावली कागज संख्या–3अ/43 है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पहचान करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–08** डाला गया। एक्सरे रिपोर्ट पर मैनें मालती देवी के दाहिने हाथ का अंगूठा का निशान लगवाया था। एक्स–रे रिपोर्ट मैनें एक्स–रे प्लेट के आधार पर तैयार किया था जो क्रमशः कागज संख्या–3अ/36 व कागज संख्या–3अ/37 है, जिस पर मैंने मजरूबा मालती देवी के निशानी अंगूठा लगवाकर प्रमाणित भी किया है, जिस पर क्रमशः **वस्तु प्रदर्श 01** व **वस्तु प्रदर्श 02** डाला गया।

(I) दाहिने जांघ का एक्स–रे प्लेट वस्तु प्रदर्श 01 के अवलोकन से मजरूबा के दाहिने जांघ में कोई फ्रैक्चर नहीं पाया गया।

(II) दाहिने हाथ व कलाई के साथ का एक्स–रे प्लेट वस्तु प्रदर्श 02 के अवलोकन से मजरूबा के हाथ में चौथे मेटाकारपल हड्डी का फ्रैक्चर पाया गया।

23. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू.–10 डॉ. दयाशंकर** ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 16.09.2024 में सशपथ बयान किया है कि मैं दिनांक 10.08. 2016 को बतौर चिकित्साधिकारी जिला संयुक्त चिकित्सालय, सोनभद्र में तैनात था। उस दिन मेरी ड्यूटी पोस्टमार्टम हेतु लगी हुई थी। उसी दिन मृतक बच्चन धांगर पुत्र नौजद्दी धांगर, उम्र 58 वर्ष, पुरुष, ग्राम दरमा, थाना रामपुर बरकोनिया, जिला सोनभद्र का शव सिल मुहर सर्व मुहर हालत में मय पुलिस प्रपत्रों के साथ 07:00 पी०एम० पर कां० विमलेश गुप्ता थाना रामपुर बरकोनिया के द्वारा लाया गया था, जिसका पोस्टमार्टम जिलाधिकारी महोदय सोनभद्र के आदेश के अनुपालन में मेरे द्वारा किया गया था। **मृतक बच्चन धांगर उपरोक्त का पोस्टमार्टम 07:00 पी०एम० से 07:30 पी०एम० तक दिनांक 10. 08.2016 को मेरे द्वारा किया गया था।**

<u>वाह्य परीक्षण–</u> मृतक की लम्बाई 165 से.मी., मृतक दुर्बल काठी का था। मृतक के शरीर पर एक हाफ कुर्ता, हाफ इनर, जाघिया और दाहिने कलाई पर रक्षा मौजूद था। मृतक के शरीर में ऊपरी और निचले दोनों हिस्सों में मृत्यु पश्चात् अकडन मौजूद थी। मृतक की दिखावट सामान्य नेत्र मुख बन्द थे, नाखून तथा प्राकृतिक द्वार सामान्य थे।

<u>मृत्यु पूर्व चोटें–</u>

(I) दाहिने हाथ में कोहनी से 06 सेमी ऊपर डिफारमिटी तथा फ्रेक्चर पाया गया था जिस पर हॉस्पिटल बैंडेज बंधा हुआ था।

(II) बायें पैर के घुटने से 06 सेमी नीचे 02 सेमी X 01 सेमी का फटा हुआ घाव।

(III) दाहिने पैर के घुटने से 06 सेमी नीचे 02 सेमी X 01 सेमी का फटा हुआ घाव।

(IV) बाये सीने में बाये निप्पल से 06 सेमी नीचे 02 सेमी नीलगू सूजन मौजूद था।

<u>आन्तरिक परीक्षण–</u> स्कैल्प, स्कल, मस्तिष्क तथा मस्तिष्क की झिल्लियां ग्रीवा, जीभ तथा ग्रसनी कन्ठ नली, थायराइड, हायड बोन, श्वास नली, निगल ये सभी सामान्य थे। बांयी तरफ की चौथी, पांचवी और छठी रिब (पसली) फैक्चर पायी गयी थी। बांयी साइड की प्ल्यूरा फटा हुआ और बांयी प्लूरल कैविटी खून से भरी हुई थी। बांये तरफ का फेफड़ा फटा हुआ था और दाहिना सामान्य था। बड़ी रक्त वाहिका, उदर भित्ति, पेरिटोनियम कैविटी, बडी आंत, स्प्लीन, किडनी और पेल्विक कैविटी सामान्य थे। आमाशय भरा हुआ था तथा पित्त की थैली खाली थी।

मेरी राय में मृतक की मृत्यु का सम्भावित समय लगभग 01 दिन था। मेरी राय में मृत्यु का कारण शाक और हैमरेज, जो कि फेफड़े के फटने के कारण था। मेरी राय में मृतक को आयी हुई चोटें किसी सख्त कुंदालय से आना सम्भव है। शामिल पत्रावली कागज संख्या–3अ/13 मूल अभिलेख को देखकर साक्षी द्वारा अपने हस्ताक्षर और लेख की पहचान की गयी, जिस पर **प्रदर्श क–09** डाला गया।

24. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू.–11 उ.नि. राजेन्द्र सिंह यादव** ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 21.10.2024 में सशपथ बयान किया है कि दिनांक 10.08.2016 को बतौर उपनिरीक्षक थाना रामपुर बरकोनिया, जनपद सोनभद्र पर तैनात था कि उसी दिन थाने पर वादी मुकदमा शम्भूनाथ धांगर की लिखित तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या–35/2016 अन्तर्गत धारा–323, 147, 427 भा.दं.सं थाना रामपुर बरकोनिया बनाम नामजद अभियुक्तगण रामकेवल, बुद्धीनरायन, रमेश, आरकेश, दीनानाथ, अरूण, राधे, हरीप्रसाद, रघुवर, विमलेश, जटाशंकर के विरूद्ध पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना मुझ उपनिरीक्षक को दिनांक 10.08.2016 को सुपुर्द हुई थी। तत्क्रम में दिनांक 10.08. 2016 को ही मैनें पर्चा नंबर–01 किता किया, जिसमें नकल एफ.आई.आर., नकल रपट दर्ज करने के उपरान्त उसी दिन थाना कार्यालय से जुर्म धारा–304 भा.दं.सं. की बढ़ोतरी की नकल रपट नंबर–19 समय 14:00 बजे की नकल रपट मिली, जिसकी मैनें नकल किया तथा मृतक की मजरूबी चिट्ठी मिली, जिसका इन्द्राज सी.डी. में किया तथा मजरूबा मालती देवी और सुदेश्वरी की मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसका अवलोकन कर संलग्न सी.डी. किया गया। उसी दिन पंचायतनामा भरने के लिये चतरा अस्पताल गये थे। शामिल पत्रावली कागज संख्या–3अ/09 वही पंचायतनामा है जिसमें मैनें पांच पंच नियुक्त किये थे और उनको अधिकार कर्तव्य बताया तथा पंचायतनामा की कार्यवाही शुरू किया, पंचायतनामा भरकर पढ़कर सुनाकर सभी सम्बन्धितों से हस्ताक्षर करवाये। वह पंचायतनामा मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पहचान करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–10 डाला गया। तत्पश्चात् शव को सील मुहर सर्व मुहर कर कां० विमलेश व कां०

संजीव के माध्यम से पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल लोढी, सोनभद्र भेजा गया। तत्क्रम में मेरे द्वारा पुलिस फार्म संख्या–13, पुलिस फार्म संख्या–379 तैयार किया गया था जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर कमशः **प्रदर्श क–11 व प्रदर्श क–12** डाला गया। वादी तथा मजरूबा का बयान लेने का प्रयास किया गया परन्तु शाक में होने के कारण उनका बयान नहीं हो सका। फिर थाने पर आये और एफ.आई.आर. लेखक हेड कां० संतलाल का बयान लिये। दिनांक 11.08.2016 को मेरे द्वारा पर्चा नंबर 2 किता किया गया, जिसमें वादी का बयान लिया और मजरूबा सुदेश्वरी का बयान लिये फिर चश्मदीद गवाह कलिक देव का बयान लिये चश्मदीदी गवाह रामऔतार गोंड, चश्मदीद गवाह रामलाल धांगर का बयान लिया, चश्मदीद व मजरूबा सुदेश्वरी व वादी की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया, घटना स्थल का मौके पर नक्शा–नजरी तैयार किया, यह नक्शा–नजरी शामिल पत्रावली कागज संख्या–3अ/08 हैं, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं पहचान करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–13 डाला गया, जिस पर तारीख अंकित किया हूं। दिनांक 13.08.2016 को मेरे द्वारा पर्चा नंबर 03 किता किया गया, जिसमें थाना कार्यालय से पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की मूल रिपोर्ट प्राप्त की, जिसका अवलोकन करके सी.डी. में दर्ज किया, पंचान शम्भूनाथ, कैलाश चेरो, कन्हैया चेरो, संजय चेरो, उमेश चौबे का बयान अंकित किया गया। दिनांक 16.08.2016 को मेरे द्वारा पर्चा नंबर 04 किता किया गया, जिसमें अभियुक्तों की तलाश की गयी, घर पर नहीं मिले। मजरूबा मालती देवी का बयान लिया गया। तत्पश्चात् पी.एम. कार्यालय के कां० विमलेश गुप्ता व कां० संजीव गुप्ता का बयान लिया गया। दिनांक 18.08.2016 को मेरे द्वारा पर्चा नंबर 05 किता गया, जिसमें अभियुक्त दीनानाथ के घर दबिश दी गयी तो पता चला कि वह घर पर नहीं है वह अपने ससुराल रघुनाथपुर में है। रघुनाथपुर में दबिश दी गयी लेकिन वह नहीं मिला। दिनांक 19.08.2016 को मेरे द्वारा पर्चा नंबर 06 किता किया गया, जिसमें अभियुक्तगण के घर पर दबिश दी गयी तो पता चला कि वह न्यायालय में हाजिर होने के चक्कर में है। दिनांक–22.08.2016 को मेरे द्वारा पर्चा नंबर 07 किता किया गया जिसमें थाना कार्यालय से अभियुक्त रमेश, अरुण, विमलेश के न्यायालय में आत्मसमर्पण की सूचना मिली, जिसका उल्लेख सीडी में किया गया। इसी दिन अभियुक्तों की न्यायालय से रिमाण्ड समाप्त हो रही थी, अवलोकन एक्स–रे रिपोर्ट मालती देवी प्राप्त हुई जिसमें दाहिने हाथ में फैक्चर होना पाया गया, जिसमें नकल रपट नंबर–09 दिनांक 22.08.2016 समय 07:20 के माध्यम से धारा–325 की बढ़ोतरी की गयी, उस जीडी की एक ही प्रासेस में तैयार कार्बन प्रति प्रमाणित मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जो शामिल पत्रावली कागज संख्या–3अ/42 है, जिसकी मैं पहचान करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–14 डाला गया। दिनांक 24.08.2016 को मेरे द्वारा पर्चा नबंर 08 किया गया, जिसमें पोस्टमार्टम करने वाले डा० दयाशंकर का बयान अंकित किया। तत्पश्चात् चतरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आया और डां० मनोज कुमार सिंह का बयान दर्ज किया। दिनांक 27.08.2016 को मेरे द्वारा पर्चा नंबर 09 किता किया गया, जिसमें अभियुक्त के आत्मसमर्पण की सूचना मिली थी, जिसे दर्ज किया। दिनांक 28.08.2016 को मेरे द्वारा पर्चा नंबर 10 किता किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अनुमति प्राप्त कर जिला कारागार मिर्जापुर जाकर अभियुक्त रमेश, अरूण धांगर, विमलेश धांगर, रामकेवल घांगर, राधे उर्फ राधेश्याम धांगर, रघुवर धांगर, जटा शंकर धांगर, हरी प्रसाद धांगर और दीनानाथ धांगर का बयान लिया गया। दिनांक 30.08.2016 को मेरे द्वारा पर्चा नंबर 11 किता किया गया। दिनांक 12.09.2016 को मेरे द्वारा पर्चा नंबर 12 किता किया गया। दिनांक 12.09.2016 को मेरे द्वारा पर्चा नंबर 12ए किता किया गया जिसमें मुल्जिम आरकेश और बुद्धिनरायन की तलाश की गयी लेकिन नहीं मिले। दिनांक 13.09.2016 को मेरे द्वारा पर्चा नंबर 13 किता

किया गया। दिनांक 24.09.2016 को मेरे द्वारा पर्चा नबंर 14 किता किया गया। दिनांक 25.09.2016 को मेरे द्वारा पर्चा नंबर 15 किता किया गया। दिनांक 26.09.2016 को मेरे द्वारा पर्चा नंबर 16 किता किया गया। दिनांक 28.09.2016 को मेरे द्वारा पर्चा नंबर–17 किया गया, जिसमें अभियुक्त बुद्धिनरायन और आरकेश के विरूद्ध न्यायालय से एन.बी.डब्ल्यू. प्राप्त किया गया। दिनांक 30.09.2016 को मेरे द्वारा पर्चा नंबर 18 किता किया गया जिसमें थाना कार्यालय से अभियुक्त बुद्धिनरायन के आत्मसमर्पण की सूचना प्राप्त हुई, जिसका अवलोकन कर नकल किया गया। दिनांक 03.10.2016 को मेरे द्वारा पर्चा नंबर 19 किता किया गया जिसमें जिला जेल मिर्जापुर जाकर अभियुक्त बुद्धिनरायन का बयान लिया गया। दिनांक 07.10.2016 को पर्चा नंबर 20 किता किया गया। दिनांक 20.10.2016 को पर्चा नंबर 21 किता किया गया। दिनांक 27.10.2016 को मेरे द्वारा पर्चा नंबर 22 किता किया गया, जिसमें बाल अपचारी आरकेश उर्फ राकेश की गिरफ्तारी की गयी और उसका बयान लिया गया और किशोर न्यायालय में पेश किया गया, रपट नंबर 12 समय 09:45 बजे थाने में इन्द्राज किया, जो शामिल पत्रावली कागज संख्या–3अ/26 वही रपट संख्या–12 समय 09:45 बजे दिनांक 27.10.2016, थाना रामपुर बरकोनिया, सोनभद्र की एक ही प्रासेस में तैयार कार्बन प्रमाणित प्रति मौजूद है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं पहचान करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–15** डाला गया। दिनांक 03.11.2016 को मेरे द्वारा पर्चा नंबर 23 किता किया गया। दिनांक 04.11.2016 को मेरे द्वारा पर्चा नंबर 24 किता किया गया, जिसमें केवल, बुद्धिनरायन, रमेश, दीनानाथ, राधे उर्फ राधेश्याम, अरूण, हरीप्रसाद, रघुवर, निलेश उर्फ अनिल घांगर, जटाशंकर के विरूद्ध जुर्म अपराध धारा–147, 323, 325, 427, 304 बखूबी प्रमाणित हुआ जिसे आरोप पत्र संख्या–14/2016 न्यायालय प्रेषित किया गया। वह आरोप पत्र शामिल पत्रावली कागज संख्या–03अ/01 है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पहचान करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–16** डाला गया।

–बयान सफाई साक्षी–

25. अभियुक्तगण की ओर से परीक्षित साक्षी **डी.डब्लू.–1 मुनेश्वर** ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 20.03.2025 में सशपथ बयान किया है कि ''दिनांक–09.08.2016 को ग्राम दरमा में धान की रोपाई हेतु लेबर खोजने गया था। मैं दरमा से लगभग 09:00 बजे रात वापस अपने घर ग्राम करौंदिया आ रहा था, मैं अपने हाथ में ट्रार्च व एक डंडा लिया हुआ था। घाघर नदी, जो ग्राम दरमा और करौंदिया के बीच में पड़ती है। घाघर नदी में काई लगी हुई थी और एक किनारे दक्षिण तरफ छिछला पानी था तथा उत्तरी किनारे पर बहुत हल्का पानी था। मैं जब घर जा रहा था तो बच्चन धांगर आगे–आगे जा रहे थे, वह दूध वाला बल्टा लगभग 05 लीटर स्टील का था, जिसमें ढक्कन नहीं लगा हुआ था। बच्चन घांगर, रामअवतार के घर चले गये और मैं आगे अपने घर चला गया तथा सुबह मैं गांव में सुना कि बच्चन धांगर अपने घर जाते समय पत्थर से फिसल जाने से बाल्टा से चोट लग गयी और उनके परिवार के लोग अपने घर ले गये और उसके बाद थाना पर ले गये और उसके बाद पता लगा कि अस्पताल ले गये, बाद में पता चला कि बच्चन घांगर मर गये। इसके बाद पता चला कि बच्चन घांगर के लड़के ने अपने एफ. आई.आर. अपने विरोधियों रामकेवल आदि पर करा दिया। बच्चन धांगर ओझाई का काम करते थे। उस दिन बच्चन धांगर ओझाई करने के लिये रामअवतार के घर गये थे जहां पर दारू, मुर्गा भी खाए थे। बच्चन धांगर अगल बगल के गांवों में भी ओझाई करते थे।'' इसके पश्चात् इस साक्षी से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी है।

26. अभियुक्तगण की ओर से परीक्षित साक्षी **डी.डब्लू.–2 रामबहाल** ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 27.03.2025 में सशपथ बयान किया है कि ''मैं दिनांक–09.08.2016 को समय करीब 08:45 बजे रात को ग्राम करौदिया से ग्राम दरमा जा रहा था। करौंदिया में मैं टमाटर वगैरह की खेती करता हूं। ग्राम करौंदिया में खेत से मैं अपने ग्राम दरमा जा रहा था। घर लौटते समय मुझे नदी के पास बच्चन मिले थे जो दरमा के रहने वाले हैं। बच्चन अपने हाथ में बाल्टा जो लगभग 05 लीटर का होगा, डंडा व टार्च भी लिये थे, अंधेरी रात थी, नदी में पत्थर व काई लगी हुई थी। काई पर चलने–फिरने से फिसलन का डर रहता है। इसके बाद मैं अपने घर दरमा आया था। बच्चन करौदिया गए। सुबह गांव में शोरगुल हुआ कि बच्चन नदी में गिर गये, और उनको चोट लग गयी है, हम लोग उन्हें सुबह देखने गये तो पता चला कि वह थाने चले गये हैं। उसके बाद पता चला कि यह लोग थाने से तियरा अस्पताल को गए हैं। समय 12:00–01:00 बजे गांव में पता चला कि बच्चन मर गए। इसके एक दिन बाद बच्चन के लड़के शम्भू ने केवल और एक आध दो अन्य लोग के विरूद्ध प्रार्थना पत्र दिया था। ट्रैक्टर चोरी के बावत् बुधिनरायन के पिता रामविलास ने शम्भू आदि पर एफ.आई.आर. दर्ज कराया था, यह बात सन् 2009 की होगी। बुधिनरायन के अपने मोबाइल चोरी के बावत् एफ. आई.आर. शम्भू वगैरह पर दर्ज करवाया था। बुधिनरायन को गांव में सामाजिक आदमी के रूप में जाना जाता है।'' इसके पश्चात् इस साक्षी से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी है।

27. अभियुक्तगण की ओर से परीक्षित साक्षी **डी.डब्लू.–3 रामदिहल** ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 09.04.2025 में सशपथ बयान किया है कि ''दिनांक–10.08.2016 को मैंने सुबह अपने गांव में सुना कि बच्चन ग्राम करौदिया ओझाई करने के लिये रामअवतार के घर गये थे। बच्चन ग्राम करौदिया 09 तारीख की रात में गए थे। मैनें सुबह सुना था कि घाघर नदी जो 100 मीटर से ऊपर चौडाई होगी, जिसमें चट्टान पर बच्चन धांगर गिर गए थे। बच्चन धांगर अपने साथ स्टील का बाल्टा लिये थे। बच्चन धांगर काई लगे पत्थर/चट्टान पर गिर गये थे। जब हम लोग उनके घर पर गए थे तो पता चला कि वह थाने गये और इसके बाद तियरा अस्पताल गए, जहां पर दवा इलाज कराने गये और वहीं पर मर गये। बच्चन की मृत्यु के बाद उनको घर लाए थे। तीन चार दिन बाद पता चला कि शम्भू ने फंसा दिया, किसको–किसको फंसा दिया, यह मुझे नहीं मालूम है। घाघर नदी पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। बच्चन धांगर बड़े ओझा थे। दारू, मुर्गा खाकर भूत–प्रेत की ओझाई करते थे। मैंनें सुना कि बच्चन धांगर ग्राम करौंदिया के रामअवतार के घर से ओझाई करके आ रहे थे। शम्भू और बुधिनरायन ने, बी०डी०सी० का चुनाव लडे थे। शम्भू बीडीसी का चुनाव जीत गये थे और और बुधिनारायन हार गये थे। इसके बाद जब ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ था तो बुधिनारायन ग्राम प्रधान का चुनाव जीत गए थे और शम्भू चुनाव हार गए थे। बुधिनारायन का ट्रैक्टर बहुत पहले शम्भू दरवाजे पर से चोरी करके ले गए थे। बुधिनारायन का मोबाइल वगैरह मरकरी गांव के पास से चोरी हो गया था, जिसे मैनें सुना था।'' इसके पश्चात् इस साक्षी से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी है।

–अभियोजन पक्ष का तर्क–

28. अभियोजन की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा जंगल की जमीन के कब्जे को लेकर वादी के घर आकर मुख्य दरवाजे पर खपड़ा फोड़ा गया तथा घर से वादी की माता के निकलने पर उसके साथ मारपीट की गयी। वादी के पिता की जानकारी प्राप्त कर रात्रि

में ही ग्राम करवनियां से वापस आते समय घाघर नदी के पास एकराय होकर लाठी–डण्डों से मारपीट की गयी। अभियुक्तगण द्वारा कारित चोटों से अस्पताल में अगले दिन बच्चन की मृत्यु हो गयी है। बचाने गयी मालती के साथ भी अभियुक्तगण द्वारा मारपीट की गयी है। अभियुक्तगण द्वारा सुनियोजित व एकराय होकर घटना कारित की गयी है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से अभियोजन कथानक युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करते हुए अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित करने की मांग की गयी।

–बचाव पक्ष का तर्क–

29. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण को रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। मृतक बच्चन की मृत्यु घाघर नदी में पत्थरों पर फिसलकर गिरने से आयी चोटों के कारण हुई है। अभियुक्तगण द्वारा कोई मारपीट नहीं की गयी है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। विवेचक द्वारा कथित रूप से प्रयुक्त लाठी–डण्डों तथा मृतक बच्चन की टॉर्च, लाठी व दूध के बाल्टे को बरामद नहीं किया गया है। विवेचना दोषपूर्ण है। मृतक का पोस्टमार्टम किये जाने से उसके पेट से अधपचा भोजन निकला है, जिससे घटना रात के 11 बजे की न होकर अन्य किसी समय की है, क्योंकि खाना खाने के लगभग 4 घण्टे के अंदर भोजन पच जाता है और घटना तथा पोस्टमार्टम के समय के अंतराल को दृष्टिगत रखते हुए अधपचा भोजन पेट में पाया जाना संभव नहीं है। अभियुक्तगण की तरफ से पूर्व में वादी मुकदमा के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसके कारण बदले की भावना के तहत रंजिशन मुकदमा लिखाया गया है। अभियोजन की तरफ से परीक्षित साक्षियों के बयानों में गंभीर विरोधाभास है। एक मात्र चक्षुदर्शी साक्षी राम औतार गोड़ के बयान से घटना संदेहास्पद हो जाती है। संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है। अपने तर्कों के समर्थन में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्नलिखित विधि व्यवस्थाएं दाखिल की गयी है–

1. हरिश्चन्द्र लड़ाकू थांगे बनाम महाराष्ट्र राज्य, दाण्डिक अपील सं.–624/2001, निर्णय दिनांक 30.08.2007,

2. राज्य बनाम सूरज भान, दाण्डिक अपील सं.–593/1996, निर्णय दिनांक 15.04.1997,

3. श्रीनिवास बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य, [2022 (2) ए.डी.सी.सी.582 (इलाहाबाद हाईकोर्ट)]

4. उ.प्र. राज्य बनाम मसीत व अन्य, (शासकीय अपील सं. 1865 सन् 1981) निर्णय दिनांक 02.05.2006,

5. नवाब बनाम उ.प्र. राज्य, दाण्डिक अपील सं. 793/1982, निर्णय दिनांक 08.08.2007

–विश्लेषण एवं निष्कर्ष–

30. प्रस्तुत फौजदारी प्रकरण में न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण बुद्धिनरायन, रमेश, दिनानाथ, अरूण, राधे, हरि प्रसाद, जटाशंकर, रघुवर व विमलेश के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा–147, 323, 325, 427, 504, 506, 304 भा.दं.सं. सपठित धारा–149 भा.दं.सं. को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में कहां तक सफल रहा है?

Hon'ble Apex Court in **Tika Vs. State of U.P., A.I.R. 1974 S.C.155** has propounded that the prosecution is to establish its case beyond reasonable doubt, falsity of defence is not material.

"In **Kali Ram Vs. State of H.P., A.I.R. 1973 S.C.2773,** Hon'ble Court has propounded that one of the cardinal principles, which has always to be kept in view in our system of administration of justice for criminal cases, is that a person arraigned as an accused is presumed to be innocent, unless that presumption is rebutted by the prosecution by production of evidence, which shows him to be guilty of the offence, by which he has been charged.

In the decision **State of U.P. vs. Krishna Gopal (1988 (4) SCC 302)** it was exposited by the Hon'ble Apex Court that "A person has, no doubt, a profound right not to be convicted for an offence which is not established by evidential standard of proof beyond the reasonable doubt."

Hon'ble Apex Court in **State of U.P. Vs. Anil Singh, A.I.R. 1988 S.C. 1998,** has discussed the duties of the Presiding Officer, presiding as Judge of a court, administering justice in criminal side and has held that "acquittal on flimsy ground would shake basic fabric of our constitution. Justice social, economical and political, being one of aloed objects as reflected in preamble of constitution, Judge does not preside over a trial merely to see that no innocent man is punished. A Judge also presides to see that a guilty man does not escape. One is as important as the other. Both are public duties, which the Judge has to perform."

31. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण बुद्धिनरायन, रमेश, दिनानाथ, अरूण, राधे, हरि प्रसाद, जटाशंकर, रघुवर व विमलेश पर आरोप लगाया गया है कि दिनांक 09.08.2016 की रात लगभग 11 बजे विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य के रूप में बलबा कारित किया तथा वादी मुकदमा के घर पर जाकर उसके मुख्य दरवाजे के ऊपर खपड़ा फोड़ना शुरू कर दिया जब वादी की माता सुदेश्वरी अपने नाती कलिकदेव के साथ घर से बाहर निकली और अभियुक्तगण को ऐसा करने से रोका गया तो उसके साथ मार पीट की गयी तथा डर के मारे कलिकदेव छुप गया था। सुदेश्वरी से अभियुक्तगण द्वारा यह पूछे जाने पर की उसका पति बच्चन कहा है, जब उसके द्वारा यह बताया गया कि वह गांव करवनियां की तरफ गये है। तब अभियुक्तगण बच्चन को तलाश करते हुए घाघर नदी की तरफ गये जहां पर बच्चन के मिलने पर उसके साथ अभियुक्तगण द्वारा मार पीट की गयी, जिससे घायल होकर बच्चन वहीं पर गिर गया। बच्चन के साथ उसे घर छोड़ने आ रहे राम औतार गोड़ ने झाड़ियों में छुपकर घटना को देखा है। शोर शराबे पर जब मालती घटनास्थल पर गयी तब अभियुक्तगण द्वारा मालती के घर जाकर उसके साथ भी मार पीट की गयी है। अभियुक्तगण द्वारा की गयी मार पीट से सुदेश्वरी व मालती को चोटें आयी हैं। बच्चन के साथ आ रहे राम आम औतार गोड़ द्वारा जब बच्चन के साथ अभियुक्तगण द्वारा की गयी मार पीट व बच्चन के घाघर नदी के पास पड़े होने की सूचना उसके घर आकर उसकी पत्नी सुदेश्वरी को दी तब सुदेश्वरी अन्य गांव वालों के साथ रात में ही घटनास्थल पर गयी है और बच्चन को चारपाई पर लादकर घर ले आयी है। रात होने व वादी मुकदमा शम्भूनाथ के घर पर न होने के कारण सुबह शम्भूनाथ के घर वापस आने पर चोटहिल सुदेश्वरी, मालती व बच्चन को थाना रामपुर बरकोनिया गया, जहां से पुलिस द्वारा चोटहिलों को इलाज हेतु मजरूबी चिट्ठी के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चतरा, सोनभद्र भेजा गया। मजरूबा सुदेश्वरी व मालती का

प्राथमिक उपचार किया गया तथा मालती को एक्स–रे की सलाह दी गयी। जिला अस्पताल सोनभद्र में मालती का एक्स–रे हुआ, जिससे उसके हाथ में फ्रैक्चर होना पाया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चतरा पर ही मजरूब बच्चन की दौरान इलाज मृत्यु हो गयी।

32. अभियोजन कथानक/तहरीर के अनुसार हस्तगत प्रकरण में कुल 03 घटनाक्रम समाहित है–

1. वादी मुकदमा के घर पर जाकर मुख्य दरवाजे के ऊपर का खपड़ा फोड़ना तथा मना करने पर अभियुक्तगण द्वारा उसकी माता सुदेश्वरी से मारपीट किया जाना,

2. बच्चन के साथ घाघर नदी में रास्ते में मारपीट करना, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी व

3. बच्चन के साथ मारपीट करते समय बचाने आयी मालती के घर जाकर उसके साथ मारपीट करना।

33. इस प्रकार न्यायालय को अब यह देखना है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य होते हुए एकराय होकर लाठी–डण्डों से लैश होकर उपरोक्त घटनाएं कारित की गयी है?

34. अभियुक्तगण पर **धारा–147 भा.दं.सं.** के तहत अपराध कारित किये जाने का आरोप है, जिसमें बलबा करने के लिए दण्ड का प्रावधान है। बलबा को भारतीय दण्ड संहिता की **धारा–146 में परिभाषित** किया गया है, जो इस प्रकार है– ''जब कभी विधि विरूद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बल्वा करने के अपराध का दोषी होगा।''

विधि विरूद्ध जमाव को **धारा–141 भा.दं.सं. में परिभाषित** किया गया है, जिसके अनुसार– ''पाँच या अधिक व्यक्तियों का जमाव ''विधिविरुद्ध जमाव'' कहा जाता है, यदि उन व्यक्तियों का, जिनसे वह जमाव गठित हुआ है, सामान्य उद्देश्य हो–

पहला– केन्द्रीय सरकार को, या किसी राज्य सरकार को, या संसद को, या किसी राज्य के विधान–मण्डल को, या किसी लोक सेवक को, जबकि वह ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, आतंकित करना, अथवा

दूसरा– किसी विधि के, या किसी वैध आदेशिका के, निष्पादन का प्रतिरोध करना, अथवा

तीसरा– किसी रिष्टि या आपराधिक अतिचार या अन्य अपराध का करना, अथवा

चौथा– किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, किसी सम्पत्ति का कब्जा लेना या अभिप्राप्त करना या किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के उपभोग से, या जल का उपभोग करने के अधिकार या अन्य अमूर्त अधिकार से जिसका वह कब्जा रखता हो, या उपभोग करता हो, वंचित करना या किसी अधिकार या अनुमित अधिकार को प्रवर्तित कराना, अथवा

पांचवां– आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, किसी व्यक्ति को वह करने के लिए, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो या उसका लोप करने के लिए, जिसे करने का वह वैध रूप से हकदार हो, विवश करना।

स्पष्टीकरण– कोई जमाव, जो इकट्ठा होते समय विधिविरुद्ध नहीं था, बाद को विधिविरुद्ध जमाव हो सकेगा।''

35. स्वीकृत रूप से वादी मुकदमा शम्भूनाथ घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, क्योंकि तहरीर में इस तथ्य का उल्लेख है कि वह घटना के समय घर पर नहीं था और जब दिनांक 10.08.2016 को घर आया तो उसको घटना की जानकारी हुई। उसके पश्चात् वह मजरूब सुदेश्वरी, मालती व बच्चन को लेकर थाना रामपुर बरकोनिया गया, जहां पर उसके द्वारा हस्तलिखित तहरीर प्रदर्श क–1 थाना प्रभारी को दी गयी। उक्त तहरीर के आधार पर दिनांक 10.08.2016 को मुकदमा पंजीकृत किया गया। दौरान इलाज मजरूब बच्चन की मृत्यु हो जाने के कारण धारा–304 भा.दं.सं. की बढ़ोतरी की गयी है। अभियोजन की तरफ से **साक्षी पी.डब्लू.–1** के रूप में वादी मुकदमा शम्भूनाथ को परीक्षित कराया गया है, जिसने तहरीर को बतौर प्रदर्श क–1 साबित किया है तथा यह भी कथन किया है कि उसके पिता के शव का पंचनामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चतरा में पुलिस के लोगों ने किया था। घटना की चक्षुदर्शी/मजरूबा सुदेश्वरी पत्नी बच्चन धांगर बतौर **साक्षी पी.डब्लू.–2** ने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है तथा कथन किया है कि– ''घटना के दिन घर पर मैं और मेरा नाती कलिक देव, जिसकी उम्र लगभग 12 साल होगी थे। मेरे पति बच्चन उस दिन करमनिया गाँव गये हुए थे। मेरा लड़का शम्भू ग्राम सिल्थम गया हुआ था। घटना दिनांक 09.08.2016 को रात्रि लगभग 11 बजे की है। मैं और मेरा नाती घर में सोये हुए थे कि मेरे दरवाजे पर खपड़ा पीटने व गाली गलौज की आवाज सुनाई देने लगी। तब मैं और मेरा नाती कलिक देव टॉर्च लेकर बाहर निकले तो देखा कि दरवाजे पर गाँव के **राम केवल, अरुण, आरकेश, रमेश, रघुवर, राधेश्याम, हरि प्रसाद, बुद्धिनरायन, जटाशंकर, विमलेश व दीनानाथ मेरा खपडा लाठी–डन्डा से पीट रहे थे। मैंने और मेरे नाती ने खपड़ा पीटने से मना किया तो मुल्जिमान मुझे लाठी–डन्डा से मारने लगे।** मैं घर के अन्दर भागी और कह रहे थे कि तुम लोग जंगल की जमीन जिस पर तुम लोगों का कब्जा है, उसे छोड़ कर भाग जाओ। इसके बाद मुल्जिमान जब वापस हुए तो रास्ते में मेरे पति व रामअवतार करमनियां गाँव से घर आ रहे थे, को मिल गये और उनको सभी मुल्जिमान घाघर नदी में छेक कर लाठी–डन्डा व लात–मुक्का से मारने लगे। जब शोरगुल की आवाज आने लगी तब में घर के पीछे कुछ दूरी से देखी कि सभी लोग एकराय होकर मेरे पति को मार रहे थे। मैं डर के मारे अपने पति को बचाने नहीं गयी थी। रात में ही गाँव घर के लोगों के सहयोग से मेरे पति को घर लाया गया। रात में साधन की व्यवस्था न होने के कारण न तो में अस्पताल गयी और न ही थाने पर गयी। सुबह मेरा लड़का आया। अपने पति के साथ थाने पर हम लोग गये थे। थाने पर प्रार्थना पत्र दिया गया था। इसके बाद पुलिस के लोग दवा इलाज के लिये अस्पताल भेजे थे। दवा इलाज के दौरान मेरे पति की सरकारी अस्पताल तियरा में मृत्यु हो गयी। मेरे पति घर पर व थाने पर दारोगा जी से बताये थे कि उपर्युक्त सभी मुल्जिमान जंगल की जमीन जिस पर हम लोगों का पहले से कब्जा है, उसी को कब्जा करना चाहते थे मैंने मना किया था, इसी कारण मुझे मारे–पीटे थे। उसी रात सभी मुल्जिमान गाँव की ही मालती को उसके घर जाकर मारे पीटे थे, जिससे उसका हाथ टूट गया था। मारपीट में मुझे चोटें आयी थी। पुलिस ने मेरा व मालती का मेडिकल कराया था। घटना को मैंने देखा था। घटना के बारे में पुलिस ने मेरा बयान लिया था।'' इसी प्रकार घर पर कारित घटना का दूसरा साक्षी **कलिकदेव धांगर** ने बतौर **साक्षी पी.डब्लू.–4** अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि– ''घटना दिनांक 09.08.2016 की है कि लगभग 11:00 बजे रात्रि का समय था। घटना के समय में पढ़ाई नहीं कर रहा था। घटना के समय मेरे पिताजी मेरे पिता शम्भू नाथ घर पर नहीं थे, कहीं बाहर गये थे, उस समय घर पर मैं और मेरी दादी सुदेश्वरी देवी थी। उस समय मैं, मेरी दादी खाना खाकर घर में सो रहे थे। तभी मेरी दादी ने करीब 11:00

बजे रात्रि में मुझे जगाया और कहीं कि कोई खपड़ा पीट रहा है, चलो देखा जाय कौन है। तब मैं दादी के साथ टार्च लेकर गया तो दादी ने दरवाजा खोला और मैंने टार्च जलाकर देखा तो मेरे गांव के रामकेवल, बुद्धिनरायन, अरूण, आरकेश, रघुवर, रमेश, राधे, हरिप्रसाद, विमलेश, जटाशंकर तथा दीनानाथ ये सभी लोग अपने हाथ में लाठी–डण्डा लिये खपड़ा पीट रहे थे। तब हम लोग मना किये तो उक्त सभी मुल्जिमान बोले कि तुम लोग जंगल विभाग की जमीन कब्जा किये हो, हम लोग भी कब्जा करेगें, ज्यादा बोलोगे तो मारेंगे। तब मुल्जिमान मेरी दादी को मारने लगे और मैं डर के मारे घर के अंदर भाग गया। थोड़ी देर बाद सभी मुल्जिमान ग्राम करौंदिया की तरफ चले गये। तब मेरी दादी ने मुझसे बताया कि उपरोक्त सभी लोग तुम्हारे दादा को पूंछ रहे थे। तब मेरी दादी ने बताया कि मैंने डर के मारे उन लोगों को बता दिया कि तुम्हारे दादा ग्राम करौदिया गये हैं। उसके लगभग 02 घण्टे बाद ग्राम करौदिया के रामऔतार गोड़ ने आकर बताया कि तुम्हारे दादा को वही लोग मारे हैं। तब मैं और मेरी दादी गांव में अगल बगल के लोगों को साथ लेकर जहाँ मेरे दादा चोटहिल हालत में पड़े हुए थे, गये। तब देखा कि मेरे दादा चोट लगने के कारण बहुत गंभीर हालत में थे और दादा जी को वहाँ से टेककर अपने घर ले आये थे। मेरे दादा जी को मुल्जिमानों के मारने से दोनों पैर के घुटनों के नीचे, बांये हाथ के बांह में, बांये तरफ सीने में तथा पीठ पर गंभीर चोटें आयी थी। तब मेरी दादी ने मेरे पिताजी शम्भूनाथ को सूचना देकर बुलाया, जो दूसरे दिन सुबह दिनांक 10.08.2016 को घर आये थे। तब मैंने और मेरी दादी ने अपने पिता को घटना के बारे में सारी बात बताई थी। तब मेरे पिताजी घटना की सूचना थाना रामपुर बरकोनिया में दिये थे। मुझे, दादी, मालती व मेरे दादा को पिताजी थाना पर ले गये थे और उसके बाद अस्पताल ले गये थे। दारोगा जी ने घटना के संबंध में मुझसे पूछताछ किया था।'' साक्षी पी.डब्लू.–2 सुदेश्वरी से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत जिरह की गयी है। जिरह में इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में दिये गये कथनों का पूर्णतः समर्थन किया है तथा कथन किया है कि ''अभियुक्तगण पहले मुझे मारे थे। तब हमारे पति को मारे। तब मालती को मारे थे। मालती को भी 11 बजे रात में मारे थे। मुझे घर में घुसकर मारे तथा मालती के घर जाकर मारे। नाती को लोग नहीं मारे, वो भाग गया था। मैं नहीं भागी। **रात अजोरिया थी।** अजोरिया रात में दिखायी दे रहा था। मालती का घर घाघर नदी में 10 कदम की दूरी पर है। दरमा नदी घाट स्थल का नाम है, उसी जगह पर घटना घटी थी। मेरा लड़के शम्भू ने प्रथम सूचना थाने पर लिखवाया। मारपीट नदी पर लगभग 1 घण्टा हुआ। लाठी सब लोग लिये थे। हमारे पति भी लाठी लिये थे। मेरे पति करवनियां से आ रहे थे।'' इसी प्रकार साक्षी पी.डब्लू.–4 कलिकदेव ने अपनी जिरह में कथन किया है कि ''मेरी जन्मतिथि 01.01.2003 है, जिस समय घटना घटी थी उस समय मेरी उम्र 12 वर्ष थी। मैंने मारपीट की घटना होते हुए वहां पर देखा था। मेरे दादा घटना के पूर्व ग्राम करौंदिया गये थे।... मेरे घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर अभियुक्तगण खपड़ा पीट रहे थे। जो टॉर्च मैंने लिया था उसकी कम्पनी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। टॉर्च तीन सैल की थी। इस टॉर्च की बैटरी नई थी। मुल्जिमानों ने टॉर्च को फोड़कूच दिया था।''

36. **प्रथम घटना** जो वादी मुकदमा के घर पर अभियुक्तगण के द्वारा कारित की गयी थी। उसके संबंध में साक्षी पी.डब्लू.–2 सुदेश्वरी एवं पी.डब्लू.–4 कलिक देव ने अपनी मुख्य परीक्षा में समर्थन किया है तथा उनसे की गयी विस्तृत जिरह में ऐसा कोई तथ्य निकलकर नहीं आया है, जिससे अभियोजन कथानक पर कोई विपरीत प्रभाव पड़े। उल्लेखनीय है कि साक्षी पी.डब्लू.–2 सुदेश्वरी एक अनपढ़ महिला है, जो अंगूठा लगाती है। दिनांक 09.08.2016 की घटना के संबंध में लगभग 3 वर्षों बाद दिनांक 21.08.2019

को उसका साक्ष्य हुआ है। ऐसी स्थिति में साक्षी की उम्र लगभग 60 वर्ष को दृष्टिगत रखते हुए उसके बयानों में किंचित विरोधाभास होना स्वभाविक है। जहां तक साक्षी पी. डब्लू.–4 का प्रश्न है वह घटना के समय लगभग 12–13 वर्ष का था, जिसके समक्ष प्रथम घटना कारित हुई है। उक्त साक्षी के किसी भय, प्रलोभन आदि से प्रभावित होने का कोई सुझाव अभियुक्तगण द्वारा जिरह में नहीं लिया गया है।

37. अभियुक्तगण जो कि संख्या में 11 थे, के द्वारा विधि विरूद्ध जमाव करके बलबा कारित किया गया तथा वादी मुकदमा के घर जाकर साक्षी पी.डब्लू.–2 सुदेश्वरी के द्वारा घर का खपड़ा पीटने व तोड़–फोड़ करने से मना करने पर उसके साथ मारपीट की गयी है। मजरूबा साक्षी पी.डब्लू.–2 सुदेश्वरी का चिकित्सीय परीक्षण प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र, चतरा पर दिनांक 10.08.2016 को साक्षी **पी.डब्लू.–8 डॉक्टर मनोज कुमार सिंह** के द्वारा बतौर **प्रदर्श क–7** साबित किया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ''मेरे द्वारा थाना रामपुर बरकोनिया के का. विमलेष गुप्ता द्वारा घायल अवस्था में मजरूबी चिट्ठी के साथ लायी गयी सुदेश्वरी उम्र करीब 50 वर्ष, पत्नी बच्चन धांगर, निवासी दरमा, थाना रामपुर बरकोनिया, जिला सोनभद्र का चिकित्सीय परीक्षण उसी दिन दिनांक 10.08.2016 को समय 01:25 पी.एम. पर किया गया था। मजरूबा सुदेश्वरी के शरीर पर निम्न चोटें पायी गयी थी– 1. दाहिने जंघा पर दर्द की शिकायत व 2. दाहिनी भुजा पर दर्द की शिकायत।'' इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर मजरूबा साक्षी पी.डब्लू.–2 सुदेश्वरी के साथ मारपीट की गयी है।

धारा–323 भा.दं.सं. में स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड का प्रावधान है और स्वेच्छया उपहति कारित करने को **धारा–321 भा.दं.सं.** में परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार– ''जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि तद्द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे या इस ज्ञान के साथ कारित करता है कि यह सम्भाव्य है कि वह तद्द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे और तद्द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है वह ''स्वेच्छया उपहति कारित करता है'', यह कहा जाता है।'' सभी अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर साक्षी पी.डब्लू.–2 मजरूबा सुदेश्वरी के साथ मारपीट की गयी है। लाठी डण्डे से मारपीट किये जाने का कथन किया गया है, जिससे किसी ऐसी चोट का आना आवश्यक नहीं है, जो घातक हो। मजरूबा सुदेश्वरी के चिकित्सीय परीक्षण **प्रदर्श क–7** में 02 स्थानों जांघ व भुजा में दर्द की शिकायत होने का उल्लेख है, जिसे चिकित्सक द्वारा बतौर साक्षी पी.डब्लू.–8 साबित किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा धारा–141 भा.दं.सं. के तहत विधि विरूद्ध जमाव कारित करके एकराय होकर बलबा कारित किया गया तथा मारपीट की गयी। अभियोजन की तरफ से परीक्षित उपरोक्त साक्षीगण पी.डब्लू.–2 सुदेश्वरी, पी.डब्लू.–4 कलिकदेव व पी.डब्लू.–8 डॉ. मनोज कुमार सिंह के साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–147 भा.दं.सं. व 323 भा.दं.सं. का अपराध युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित होता है।

38. जहां तक **धारा–325 भा.दं.सं.** के आरोप का प्रश्न है, इसके तहत स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए दण्ड का प्रावधान है। घोर उपहति को **धारा–320 भा.दं.सं. में परिभाषित** किया गया है, जिसके अनुसार उपहति की केवल नीचे लिखी किस्में ''घोर'' कहलाती है–

पहला– पुंसत्वहरण।

दूसरा– दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद।

तीसरा– दोनों में से किसी भी कान की श्रवण–शक्ति का स्थायी विच्छेद।

चौथा– किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद।

पांचवां– किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास।

छठा– सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण।

सातवां– अस्थि या दांत का भंग या विसंधान।

आठवां– कोई उपहति जो जीवन को संकटापन्न करती है, या जिसके कारण उपहत व्यक्ति बीस दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने के लिए असमर्थ रहता है।

39. मजरूबा मालती की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क–6, जिसे साक्षी पी.डब्लू.–8 द्वारा साबित किया गया है, के अवलोकन से विदित है कि दो चोटें आयी है, जिनमें से चोट नं.–1 को निरीक्षण में रखा गया है तथा एक्स–रे की सलाह दी गयी है, इस संबंध में साक्षी पी.डब्लू.–8 डॉ. मनोज कुमार सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ''मैंने **मजरुबा मालती देवी** के शरीर पर तत्समय निम्नांकित चोटें पायी थी–

(I) फटा हुआ घाव दाहिने हाथ की हथेली (Palmar aspect) पर जिसका आकार 1.5 से.मी. X 0.2 से.मी. X मांस पेसियों तक गहरा था। हाथ और कलाई में सूजन मौजूद थी, रक्त का मुलायम थक्का मौजूद था।

(II) लाल रंग का नीलगू निशान दाहिने जंघा पर जिसका आकार 90 से.मी X 20 से.मी. था जो कि दाहिने घुटने से 300 से.मी. ऊपर बाहर की तरफ मौजूद था। उपरोक्त दोनों चोटों को निरीक्षण के अधीन रखा गया तथा दाहिने जंघा और दाहिने हाथ व कलाई के एक्स–रे की सलाह दी गयी मजरूब के एक्सरे तथा बेहतर चिकित्सा व्यवस्था हेतु मजरूब को जिला चिकित्सालय राबर्ट्सगंज रेफर किया गया। मेरी राय में मजरूब मालती को आयी चोटें किसी सख्त कुंदालय के द्वारा पहुंचाई गयी थी जिसकी अवधि लगभग आधे दिन की थी।''

मजरूबा मालती देवी ने बतौर साक्षी **पी.डब्लू.–3** अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ''घटना दिनांक 09.08.2016 की है कि मैं मजदूरी करके वापस अपने घर आयी हुयी थी। मेरे पति अन्य मजदूरों के इंतजाम हेतु ग्राम करवनियां में ही गये हुये थे। खाने के लिए मैं उनका इंतजार कर रही थी। रात्रि काफी हो गयी थी। लगभग 11:00 बजे रात्रि का समय था कि अचानक नदी की तरफ से हल्ला–गुल्ला, चीखपुकार सुनाई पड़ी। तब मैं लाइट/टार्च लेकर नदी के तरफ बढ़ी और देखा कि बांस के झुरमुट के बाद नदी की तरफ दरमा गांव के बच्चन धांगर को दीनानाथ, रामकेवल, आरकेश व अरूण पुत्रगण रामकेवल, रमेश, रघुवर पुत्र भोला, विमलेश, जटाशंकर, हरिप्रसाद, राधेश्याम तथा बुद्धिनारायण एकराय होकर अपने हाथों में लिए लाठी–डण्डा से मार रहे थे। मेरे गांव करवनियां के रामऔतार को मुल्जिमान ने धमकी दिया कि तब वो भागने लगे। इतने में घटना स्थल के नजदीक पहुंच गयी और टार्च की रोशनी में सभी मुल्जिमान को देखा व पहचाना तथा मुलजिमान से कहा कि तुम लोग बच्चन धांगर को क्यों मार रहे हो। इसी पर सभी मुल्जिमान एकराय होकर मुझे दौड़ा लिये। तब मैं भागकर अपने घर आयी थी कि थोड़ी देर बाद सभी मुलजिमान मेरे घर आ गये और मुझसे कहने लगे कि तुम और तुम्हारा पति बहुत नेता बनते हो और यह भी पूंछा कि तुम्हारा पति रामलाल कहाँ है। तब मैंने कहा कि मेरे पति गांव में गये है और मैं उन्हीं का इंतजार कर रही थी कि हल्ला–गुल्ला सुनकर मैं नदी की तरफ गयी थी और आप लोगों द्वारा मारत–पीटते देखकर, मैंने मारने पीटने से मना किया था। इसी बात पर सभी लोग एकराय से बहुत नेता बनती है, कहते हुए, मुझे लाठी डण्डे से मारने लगे, जिससे मुझे दाहिनी जांघ तथा दाहिनी कलाई व दाहिनी हथेली में गंभीर चोटें आयी थी। मेरा हाथ भी टूट गया था। अगले दिन सुबह बच्चन का लड़का शम्भू हमको तथा सुदेश्वरी व बच्चन को लेकर थाने पर गया था, जहां रिपोर्ट लिखे जाने के बाद हम लोगों को पुलिस के लोगों द्वारा चतरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर भेजा गया था। जहां बच्चन की मृत्यु हो

गयी तथा मुझे गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल, लोढ़ी भेज दिया गया, जहां मेरा एक्स–रे हुआ और प्लास्टर बांधा गया था। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।''

मालती के साथ मारपीट किये जाने के संबंध में साक्षी पी.डब्लू.–6 रामलाल जो कि मालती का पति है, ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है और कथन किया है कि ''मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, अगूंठा लगाता हूं। घटना आज से करीब छः वर्ष पहले की है। घटना 09 तारीख की है, अगस्त का महीना था, रात के लगभग 11:30–12:00 बज रहे थे। मैं अपने घर के बगल में गया हुआ था कि अचानक मेरे घर की ओर से तेज आवाज आने लगे और मेरी औरत मालती की तेज चीख सुनाई पड़ी। तब मैं टार्च जलाकर, दौड़कर अपने घर की ओर बढ़ा और टार्च की रोशनी में देखा कि मेरी औरत मालती को दीनानाथ, रामकेवल धांगर, अरुण, आरकेश, रमेश, रघुवर, राधेश्याम, हरिप्रसाद, बुद्धिनारायण, जटाशंकर तथा विमलेश एकराय होकर लाठी, डण्डा से मार रहे थे। तब मैं जोर–जोर से मदद के लिए गुहार लगाया और चिल्लाया तब मुल्जिमान भाग गये। देर रात हो गयी थी इसलिये मैं अपनी चोटहिल पत्नी मालती को लेकर अस्पताल नहीं गया था। इसके अगले दिन सुबह शम्भूनाथ मेरी पत्नी मालती, अपनी माता सुदेश्वरी तथा अपने पिता बच्चन को लेकर थाना रामपुर बरकोनिया, सोनभद्र गये और थाने पर घटना की सूचना दिया गया था। तब थाने के लोगों के द्वारा घायलों को सरकारी अस्पताल, तियरा (चतरा), सोनभद्र ले जाया गया था, जहाँ दवा इलाज के दौरान शम्भूनाथ के पिता बच्चन की मृत्यु हो गयी तथा मेरी औरत मालती का दाहिना हाथ टूट गया था, जिसका एक्स–रे लोढ़ी, सरकारी अस्पताल में हुआ था। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।''

40. उक्त मजरूबा मालती की एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श क–8 जो कि साक्षी पी. डब्लू.–9 डॉ. के.के. राय के द्वारा साबित की गयी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ''मैं दिनांक 11.08.2016 को बतौर रेडियोलाजिस्ट जिला संयुक्त चिकित्सालय, सोनभद्र में कार्यरत था कि उसी दिन आरक्षी विमलेश गुप्ता थाना रामपुर बरकोनिया, सोनभद्र द्वारा मालती देवी पत्नी रामलाल धांगर, निवासी करौंदिया, थाना रामपुर बरकोनिया, जनपद सोनमद उम्र 40 वर्ष की एक्स–रे कराने हेतु मेरे सम्मुख प्रस्तुत किया गया, जिसे चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चतरा द्वारा रेफर किया गया था। मजरूबा के निम्न दो एक्स–रे किये गए, जो एम.एल. नंबर 592आर. थे, जिसकी एक्स–रे रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गयी थी, जो शामिल पत्रावली कागज संख्या–3अ/43 है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पहचान करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–08** डाला गया। एक्सरे रिपोर्ट पर मैनें मालती देवी के दाहिने हाथ का अंगूठा का निशान लगवाया था। एक्स–रे रिपोर्ट मैनें एक्स–रे प्लेट के आधार पर तैयार किया था जो क्रमशः कागज संख्या–3अ/36 व कागज संख्या–3अ/37 है, जिस पर मैंने मजरूबा मालती देवी के निशानी अंगूठा लगवाकर प्रमाणित भी किया है, जिस पर क्रमशः **वस्तु प्रदर्श 01** व **वस्तु प्रदर्श 02** डाला गया।

(I) दाहिने जांघ का एक्स–रे प्लेट वस्तु प्रदर्श 01 के अवलोकन से मजरूबा के दाहिने जांघ में कोई फ्रैक्चर नहीं पाया गया।

(II) दाहिने हाथ व कलाई के साथ का एक्स–रे प्लेट वस्तु प्रदर्श 02 के अवलोकन से मजरूबा के **हाथ में चौथे मेटाकारपल हड्डी का फ्रैक्चर पाया गया।**'' इस साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया कि मैंने मेडिकोलीगल एक्स–रे रिपोर्ट तैयार किया। मेरे द्वारा चोटों का मुआयना नहीं किया गया है। मैंने दो हिस्से का एक्स–रे रिपोर्ट तैयार किया था, जिन चोटों को एक्स–रे के लिए चिकित्साधिकारी प्राथमिक

स्वास्थ्य केन्द्र, चतरा द्वारा संदर्भित किया गया था, मैंने उनका एक्स–रे किया था। एक्स–रे रिपोर्ट मैंने दिनांक 11.08.2016 को तैयार की थी।

41. साक्षी पी.डब्लू.–3 मजरूबा मालती, साक्षी पी.डब्लू.–6 रामलाल, साक्षी पी. डब्लू.–8 डॉ. मनोज कुमार सिंह एवं साक्षी पी.डब्लू.–9 डॉ के.के. राय के साक्ष्य से यह तथ्य कि अभियुक्तगण द्वारा मजरूबा मालती के साथ मारपीट की गयी, जिससे उसके दाहिने हाथ में चौथे मेटाकार्पल बोन में फ्रैक्चर पाया गया है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त साक्षीगण से विस्तृत जिरह की गयी है, किंतु ऐसा कोई गंभीर एवं तात्विक विरोधाभास नहीं पाया गया, जिससे अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो। इस प्रकार अभियुक्तगण पर धारा–325 भा.दं.सं. का अपराध युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित होता है।

42. अब यह देखना है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप अं.धारा–304 भा.दं.सं. के आरोप को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में कहां तक सफल रहा है?

43. अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा जब वादी मुकदमा के घर पर बलबा कारित किया गया और उसकी माता सुदेश्वरी के साथ मारपीट की गयी तथा उसके पिता बच्चन के बारे में पूछे जाने पर कि वह कहां है और सुदेश्वरी पर यह बताये जाने पर कि वह ग्राम करवनियां की तरफ गये है तो अभियुक्तगण ग्राम करवनियां की तरफ जाने लगे। रास्ते में घाघर नदी के पास बच्चन के मिलने पर अभियुक्तगण द्वारा बच्चन के साथ लाठी–डण्डों से मारपीट की गयी, जिससे बच्चन वहीं पर घायल होकर गिर गया। बच्चन के साथ आ रहे रामऔतार गोड़ ने घटना को देखा था और अभियुक्तगण के चले जाने के पश्चात् वादी मुकदमा के घर आकर इसकी सूचना सुदेश्वरी को दी, जिसके पश्चात् सुदेश्वरी व अन्य गांव के लोग घटनास्थल घाघर नदी के किनारे जाकर चोटहिल बच्चन को चारपाई पर लादकर घर ले आये। रात अधिक होने एवं वादी शम्भूनाथ के घर पर न होने के कारण थाने नहीं गये। सुबह शम्भूनाथ के आने पर चोटहिल सुदेश्वरी, मालती व बच्चन को लेकर शम्भूनाथ थाना रामपुर बरकोनिया गया और उसके द्वारा तहरीर प्रदर्श क–1 दी गयी, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और चोटहिलों को मजरूबी चिट्ठी के साथ इलाज हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चतरा का. विमलेश गुप्ता के साथ भेजा गया। जहां पर उपचार के दौरान बच्चन की मृत्यु हो गयी। मजरूबी चिट्ठी को साक्षी पी.डब्लू.–8 द्वारा बतौर प्रदर्श क–5 साबित किया गया है।

वादी मुकदमा शम्भूनाथ ने बतौर साक्षी पी.डब्लू.–1 उपरोक्त घटनाक्रम का अभिकथन अपनी मुख्य परीक्षा में किया है और कथन किया है कि "मेरे गांव के बगल में जंगल की जमीन स्थित है, उसमें से कुछ जमीन पर मेरा व मेरे पिता तथा गांव के कई लोगों का सामूहिक रूप से कब्जा था और सभी लोग अपने–अपने जगह पर जोत–कोड़ कर खेती गृहस्थी कर रहे थे। मेरे गांव के रामकेवल धांगर पुत्र बुद्धु, बुद्धिनारायण पुत्र रामबिलास, रमेश पुत्र कैलाश, आरकेश पुत्र रामकेवल, दीनानाथ पुत्र पच्चु, अरुण पुत्र रामकेवल, राधे पुत्र विश्वनाथ, हरिप्रसाद पुत्र गोरे, जटांशंकर पुत्र दुखरन, रघुवर पुत्र भोला व विमलेश पुत्र प्रेमनाथ, जो मेरे गांव के रहने वाले हैं। हम लोगों के जंगल के कब्जे वाली जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते थे। हम लोगों ने उस जमीन को कब्जा करने से उनकों रोक रहा था और कहा था कि जंगल में तमाम जमीन है उस पर जाकर कब्जा कर लो। उसी रंजिश को लेकर दिनांक 09.08.2016 को एक राय होकर लाठी डन्डा से लेस होकर समय करीब ग्यारह बजे रात में उपरोक्त सभी मुल्जिमान मेरे घर पर आये और दरवाजे पर आकर लाठी–डन्डा से पीट–पीट कर खपड़ा पीटने

लगे। पीटने की आवाज सुनकर जब मेरी मां सुदेश्वरी व मेरा लड़का कलिक देव बाहर निकले मेरी मां अपने हाथ में टार्च ली थी, टार्च जलायी तो गांव के उपरोक्त सभी मुल्जिमान मां को गाली गुप्ता देने लगे। मना की तो लाठी डन्डा से मारने लगे। इसके बाद मुल्जिमान घाघर नदी की तरफ जाने लगे कि रास्ते में मेरे पिता बच्चन व साथ में राम अवतार करौदियां गांव की तरफ से आ रहे थे कि उनों भी रास्ते में मुल्जिमान रामकेवल धांगर पुत्र बुद्धु, बुद्धिनारायण पुत्र रामबिलास, रमेश पुत्र कैलाश, आरकेश पुत्र रामकेवल, दीनानाथ पुत्र पच्चु, अरुण पुत्र रामकेवल, राधे पुत्र विश्वनाथ, हरिप्रसाद पुत्र गौरै, जटांशंकर पुत्र दुखरन, रघुवर पुत्र भोला व विमलेश पुत्र प्रेमनाथ लाठी डन्डा, लात मुक्का से मारने लगे। शोरगुल पर मालती देवी पत्नी रामलाल मौके पर आकर उन लोगों को मारने से मना की तो उसको भी उपरोक्त मुल्जिमान लाठी डन्डा व लात मुक्का से मारने लगे। घटना की रात मैं घर पर नहीं था। सुबह जब मैं आठ बजे घर पर पहुँचा तो मेरे पिता बच्चन ने घटना के बारे में मुझे जानकारी दिया। इसके बाद मैं मालती देवी, राम अवतार गोंड से घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद अपने पिता, माता, व मालती देवी को प्रार्थना पत्र लिखकर साथ में थाना रामपुर बरकोनियां गया था। थाने में प्रार्थना पत्र मैंने दिया था। इसके बाद पुलिस के लोग मेरा मुकदमा दर्ज किये थे और मेरे माता–पिता व मालती देवी की चोटों का दवा इलाज और मेडिकल प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र चतरा में कराये थे। डाक्टर साहब ने भर्ती किसी को नहीं किया था। मालती देवी को जिला अस्पताल लोढ़ी में एक्स–रे कराने के लिये रेफर किये थे। मेरे पिता बच्चन की दवा इलाज के दौरान चतरा अस्पताल में मृत्यु हो गयी थी। थाने में दिये गये प्रार्थना पत्र की मूल प्रति कागज संख्या 3अ/6 पत्रावली में संलग्न है, जो मेरे लेख हस्ताक्षर में है जिसको मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। पिता की मृत्यु के पश्चात् उनके शव का पंचनामा प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र चतरा में पुलिस के लोगों ने किया था। मेरे पिता को बायें हाथ, पीठ, सीने, व दोनों पैर के घुटने के नीचे चोटें आयी थी। पंचनामा पर मेरा हस्ताक्षर है जिसकों मैं तस्दीक करता हूँ। घटना के बाबत् पुलिस के लोगों ने बयान लिया था।'' इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत जिरह की गयी है। जिरह में मुख्य रूप से अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के विरूद्ध पूर्व में पंजीकृत कराये गये मुकदमों के संबंध में पूछा गया है। उक्त साक्षी ने घटनास्थल पर जाने, नक्शा नजरी बनवाने व पंचनामें पर हस्ताक्षर करने का कथन अपनी प्रतिपरीक्षा में किया है। जिरह में ऐसा कोई तथ्य निकलकर नहीं आया, जिससे अभियोजन कथानक व घटनाक्रम संदेहास्पद हो सके। इसी प्रकार साक्षी पी.डब्लू.–2 जो कि चोटहिल व मृतक बच्चन की पत्नी है, सुदेश्वरी ने भी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। जिरह में इस साक्षी से भी अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में पंजीकृत कराये गये मुकदमों के संबंध में पूछा गया है। किंतु ऐसा कोई तथ्य निकलकर नहीं आया है जिससे अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो।

44. मृतक बच्चन के साथ अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किये जाने का मुख्य साक्षी, जो कि बच्चन के साथ उसे घर छोड़ने आ रहा था, **रामऔतार गोड़** है, जिसे साक्षी **पी.डब्लू.–5** के रूप में अभियोजन द्वारा परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ''मैं पढ़ा–लिखा नहीं हूं। मैं अंगूठा लगाता हूं। यह घटना आज से लगभग 06 वर्ष पुरानी है। घटना के समय भादों का महीना था। यह घटना रात के लगभग 11:30 बजे हुई थी। घटना वाले दिन रात लगभग 10:00 बजे बच्चन धांगर, साकिन दरमा, थाना रामपुर बरकोनिया, सोनभद्र मेरे घर आये थे। रात में लौटते समय देर ज्यादा हो चुकी थी। इसलिए मैं भी उन्हें छोड़ने के लिए हाथ में टार्च लेकर उनके साथ साथ चला और नदी तक पहुंचा था कि तभी बसखार में से आहट

सुनाई पडी, तब मैं टार्च जला कर देखा तो मुल्जिमान दीनानाथ, रामकेवल तथा आरकेश व अरुण पुत्रगण रामकेवल, रमेश, रघुवर पुत्र भोला, विमलेश, जटाशंकर, हरिप्रसाद, राधेश्याम तथा बुद्धिनारायण सभी अपने हाथ में लाठी—डण्डा लिए थे तथा नदी की तरफ जा रहे बच्चन धांगर को सभी मिलकर मारने लगे, जिससे बच्चन धांगर घायल होकर वहीं पर गिर गये थे। मैं डरवश वहीं झुरमुट में छुपकर घटना को देख रहा था। रात उजली थी। जब मुल्जिमान बच्चन को मारकर गांव करौंदिया की तरफ गये तो मैं बच्चन को जाकर, उठाने का प्रयास किया लेकिन बच्चन धांगर नहीं उठ पाये तब मैं उनके घर जाकर सूचना दिया। तब बच्चन धांगर की पत्नी तथा उनका नाती व उनके गांव के अन्य लोग घटना स्थल पर आये और बच्चन घांगर को उठवाकर उनके घर पहुंचाया गया। घटना के बाद पुलिस ने मेरा बयान लिया था।'' यह साक्षी बच्चन के साथ अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किये जाने का मुख्य चक्षुदर्शी साक्षी है। दिनांक 14.07.2022 को उक्त साक्षी की मुख्य परीक्षा के पश्चात् अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह हेतु समय चाहा गया और स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो 500 रुपये हर्जे पर स्वीकार किया गया।

अगली तिथि 20.07.2022 को जिरह में उक्त साक्षी द्वारा नई कहानी प्रस्तुत की गयी कि— बच्चन धांगर मेरे घर घटना वाले दिन बाल्टा में तीन लीटर दूध लेकर मेरे घर गये थ। मेरे घर के बगल में श्रीनाथ का घर है। उस दिन श्रीनाथ घर पर थे। मेरे यहां घर पर बच्चन धांगर करीब डेढ़ घण्टे बैठे थे, उस समय रात के 11:30—12 बजे गये थे। मेरे घर पर हमारे और बच्चन धांगर के साथ कोई और नहीं बैठा था। मेरे और बच्चन धांगर के बीच इस डेढ़ घण्टे में मेरे घर में खाना पीना बना और हम लोग खाये पीये थे तथा खाने पीने के बाद बच्चन धांगर वापस गये थे खाना मेरी पत्नी ने बनाया था। खाने में मेरी पत्नी ने चावल, दाल, रोटी तथा खीर वगैरह बनाया था। हम लोग रात्रि में करीब 11:30 बजे खाना खाये थे। हम लोगों ने बच्चन धांगर को दारू नहीं पिलाया था। बच्चन धांगर जाते समय अपना बाल्टा अपने साथ लेकर गये थे। बाल्टा तीन लीटर का था। बाल्टा स्टील का था। बाल्टा हाथ में लटकाने पर दो फीट के करीब का था। मैंने विवेचक को यह बात नहीं बतायी थी कि बच्चन धांगर को मैंने निमंत्रण दिया था और वे खाना खाने मेर घर आये थे। ये बातें आज मैंने पहली बार अदालत में बताया है, इससे पूर्व मैंने किसी से नहीं बताया है। वह बाल्टा, जो बच्चन धांगर मेरे घर साथ लेकर आये थे और अपने साथ लेकर वापस जा रहे थे, चोट खाकर गिरने के बाद उनके परिवार के लोग ले गये थे। बाल्टा मौके से 15—20 मिनट बाद ले जाया गया। बच्चन धांगर अपने साथ टार्च लेकर आये थे और साथ लेकर गये थे। मेरी जानकारी में वह टार्च बरामद नहीं हुआ। चूंकि मैं साथ में ही था, इसलिए मुझे मालूम है कि वह टार्च बरामद नहीं हुआ था लेकिन पुलिस ने उस टार्च को बरामद किया हो, तो मुझे नहीं मालूम है। बच्चन धांगर अपने साथ डण्डा भी लेकर मेरे घर आये थे। बच्चन धांगर का वह डण्डा कौन लेकर गया था, मैं नहीं बता सकता हूं। यह बात कि मेरे घर आते और वापस जाते समय मृतक बच्चन धांगर के साथ टार्च और डण्डा/लाठी भी था, मैंने दरोगा जी को नहीं बताया था आज पहली बार ये बातें अदालत में बता रहा हूं। इससे पहले किसी को भी नहीं बताया था। यह कहना गलत है कि प्रथम बार अदालत में बताई गयी उक्त बातें मैंने वकील से राय मशविरे के बाद बतायी है। घाघर नदी की चौड़ाई मौके पर करीब 50 मीटर होगी। घाघर नदी में उस समय घुटने भर पानी था। मेरे गांव का नाम करौंदिया है तथा बच्चन धांगर के गांव का नाम दरमा है। ये करौदिया व दरमा गांव घाघर नदी के विपरीत पाटों/किनारों पर स्थित हैं। इन दोनों गांव की बीच की दूरी लगभग डेढ़ किमी. होगी। इस नदी में पत्थर की चट्टानें है। इसी के ऊपर पानी

बहता है। पत्थरों में काई भी लगी रहती है, जिस पर फिसलन होता है। आदमी सावधानी से न चले तो गिर सकता है। घाघर नदी के किनारों से नदी का तल करीब 13 फीट गहरा होगा। करौंदिया किनारे पर बांस का झुरमुट/ बसवार है, जबकि दरमा गांव की तरफ नदी का घाट साफ–सुथरा है। बच्चन धांगर नदी के बीचो–बीच गिरे थे, किनारे पर नहीं। घटना के समय सावन का महीना था तथा उस दिन कौन–सा दिन था, मुझे नहीं मालूम है। घटना के दिन बरसात नहीं हुयी थी, उससे पहले बरसात हुयी थी कि नहीं, मुझे नहीं याद है। घाघर नदी से मेरे घर की दूरी लगभग 01 किमी० की होगी। मैं घटना वाली रात्रि में बच्चन को छोड़ने नदी तक पैदल ही गया था, जिसमें मुझे लगभग 10 मिनट का समय लगा होगा। जब मैं नदी के किनारे पहुंचा तो बांस के झुरमुट के पास सूनसान था, वहां किसी का घर नहीं है। मेरे और बच्चन के अलावा वहाँ पर मेरे साथ कोई और नहीं था। जहाँ से मैने बांस का झुरमुट देखा था और हलचल सुनी थी, वहाँ से झुरमुट की दूरी 01 लट्ठा की दूरी रही होगी। बच्चन के पास भी टार्च थी। मेरे पास तीन बैटरी की टार्च थी और बच्चन के पास भी तीन बैटरी वाली टार्च थी। मैंने विवेचक को मेरे और बच्चन के पास घटना के समय तीन बैटरी की टार्च होने की बात बताया था, यदि विवेचक ने मेरे 161 सी.आर.पी.सी. के बयान में यह बात न लिखी हो तो में इसकी वजह नहीं बता सकता हूं। इन टार्चों से कितनी दूर तक देख सकते थे, विवेचक को नहीं बताया था। मैंने विवेचक–को टार्च नहीं दिया था क्योंकि मुल्जिमान ने मेरी टार्च छीन लिया था। मैंने विवेचक को मुल्जिमान द्वारा मेरी टार्च छीनने वाली बात नहीं बताई थी। बच्चन को जब घायलावस्था में नदी के पास से उठाया गया था तो उसके आसपास टार्च नहीं थी और बच्चन की लाठी भी गायब थी। यह बात भी मैंने विवेचक को बताया था। यदि विवेचक ने मेरे 161 सी.आर.पी.सी. के बयान में यह बात न लिखी हो तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकता हूं। मैंने दरोगा जी को घटना स्थल नहीं दिखाया था और न ही दरोगा जी मुझे घटना स्थल लेकर गये थे इसलिये मैंने दरोगा जी को टार्च जलाकर बांस के झुरमुट में अभियुक्तों के छिपे होने वाली जगह की बात नहीं बतायी थी। बांस का झुरमुट मेरे अदालत में मेरे खड़े होने की जगह से पीछे की दीवाल तक होगी, जो करीब 20 फीट होगा। बांस की कुल तीन कोठी, जिसमें एक बड़ी और दो छोटी थी। बांस की कोठियों के बीच अभियुक्तगण खड़े थे। बांस की कोठियों के बीच से उक्त सभी अभियुक्तगण दक्षिण की तरफ हमी लोगों की तरफ देख रहे थे। मैं इन लोगों को देखकर छिपा नहीं था। हम लोगों को देखकर मुल्जिमान वहाँ से जाने की कोशिश नहीं किये थे। ये बातें मैंने विवेचक को अपने बयान 161 सी.आर.पी.सी. में नहीं बताया था। यदि विवेचक ने मेरे बयान में यह लिखा है कि ''तब मैं घबड़ाकर छिप गया कि कहीं मुझे भी न मारे'' तो गलत लिखा है, मैंने विवेचक को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। यदि विवेचक ने मेरे बयान में यह लिखा है कि ''मैं ज्यों ही टार्च बंद किया, तो सभी लोग बांस के पेड़ के नीचे से उठकर नदी की तरफ जाने लगे'' तो गलत लिखा है, मैंने विवेचक को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। झगडा बांस की कोठी से लेकर नदी तक हुआ था मुझसे झगड़ा नहीं हुआ था और न ही मैंने बचाने की कोशिश किया। विवेचक को मैंने झगड़ा बांस की कोठी से लेकर नदी तक हुआ था, नहीं बताया था और न ही विवेचक को यह ही बयान दिया था कि मैंने बच्चन को मुल्जिमान से बचाने की कोशिश नहीं की थी। घटना स्थल पर उस समय मालती को नहीं देखा था। मैं घटना स्थल पर मुल्जिमान तथा बच्चन के अलावा किसी–अन्य को नहीं देखा था। मैंने ये बातें भी विवेचक को नहीं बतायी थी। घटना स्थल पर मेरे, बच्चन और मुल्जिमान के अलावा कोई अन्य होता तो दिखायी जरूर देता। मारने पीटने के बाद गांव में हल्ला हुआ या नहीं, मैं नहीं बता सकता हूं। मारपीट के बाद मुल्जिमान नदी पार कर उत्तर की

तरफ चढ़कर चले गये थे। यह सही है कि नदी के उत्तर तरफ ग्राम दरमा है, जहाँ के मुल्जिमान रहने वाले हैं। फिर मुल्जिमान रात को, लौटकर मेरे गांव नहीं आये थे। बाद में स्वतः कहा कि मैं उन्हें मेरे गांव लौटकर आते हुए नहीं देखा था। मैंने ये बातें भी विवेचक को नहीं बतायी थी। मैंने विवेचक को यह बात नहीं बतायी थी कि मारपीट करने के बाद मुल्जिमान नदी के दक्षिण तरफ से पारकर ग्राम करौदियां जाने लगे। यदि विवेचक ने मेरे 161 सी.आर.पी.सी. के बयान में यह बात लिखी हो तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकता हूं। मैंने विवेचक को यह बात भी नहीं बताई थी कि ''बुद्धिनरायन वगैरह सभी लोग करौंदिया में रामलाल की पत्नी मालती देवी को भी मारे पीटे थे और मैं डर के कारण छिपा रहा। यदि विवेचक ने मेरे 161 सी.आर.पी.सी. के बयान में यह बात लिखी हो तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकता हूं। यह कहना गलत है कि बच्चन नेता टाइप के विवादित आदमी थे, जिनका जंगल की जमीन कब्जा कराने का पेशा था। मैं नहीं बता सकता कि बच्चन मुल्जिमान की जमीन कब्जा करना चाहते थे अथवा नहीं। मुझे बच्चन और मुल्जिमान में क्या रंजिश थी, यह भी नहीं मालूम है। यह भी कहना गलत है कि मैंने अपनी आंख से कोई घटना होते हुए नहीं देखी है, साजिश में मुल्जिमान को फंसाने हेतु झूठी गवाही दिया है।''

45. उक्त साक्षी पी.डब्लू.–5 जो कि मृतक बच्चन के साथ अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट किये जाने का साक्षी है ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का पूर्णतः समर्थन किया है, किंतु इस साक्षी ने अपनी जिरह में जो कथन किये है उससे अभियोजन कथानक पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके द्वारा किये गये कथन किसी प्रकार से भी न तो अभियोजन कथानक से संबंधित है और न ही अभियुक्तगण को इनसे कोई लाभ प्राप्त होगा।

46. मृतक बच्चन के शव का पंचायतनामा प्रदर्श क–10 जो साक्षी पी.डब्लू.–11 विवेचक उ.नि. राजेन्द्र सिंह के द्वारा साबित किया गया है, में मृतक बच्चन के शरीर पर निम्न चोटें होने अंकित है–

1. दाहिने पैर के नरहर पर चोट खून आलूदा,
2. वाए पैर के नरहर पर चोट खून आलूदा,
3. वाए हाथ के मुसुक पर पट्टी बंधी हुई है व
4. पीठ पर चोट खराश है।

पंचान की राय में मारपीट के दौरान आयी चोट का इलाज कराते समय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चतरा में मृत्यु हुई है। फिर भी मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराये जाने की राय अंकित है। मृतक के शव की परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क–9 साक्षी **पी.डबलू.–10 डॉ. दयाशंकर** के द्वारा साबित की गयी है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि –''मैं दिनांक 10.08.2016 को बतौर चिकित्साधिकारी जिला संयुक्त चिकित्सालय, सोनभद्र में तैनात था। उस दिन मेरी ड्यूटी पोस्टमार्टम हेतु लगी हुई थी। उसी दिन मृतक बच्चन धांगर पुत्र नौजद्दी धांगर, उम्र 58 वर्ष, पुरुष, ग्राम दरमा, थाना रामपुर बरकोनिया, जिला सोनभद्र का शव सिल मुहर सर्व मुहर हालत में मय पुलिस प्रपत्रों के साथ 07:00 पी०एम० पर कां० विमलेश गुप्ता थाना रामपुर बरकोनिया के द्वारा लाया गया था, जिसका पोस्टमार्टम जिलाधिकारी महोदय सोनभद्र के आदेश के अनुपालन में मेरे द्वारा किया गया था। मृतक बच्चन धांगर उपरोक्त का पोस्टमार्टम 07:00 पी०एम० से 07:30 पी०एम० तक दिनांक 10.08.2016 को मेरे द्वारा किया गया था।

<u>वाहय परीक्षण–</u> मृतक की लम्बाई 165 से.मी., मृतक दुर्बल काठी का था। मृतक के शरीर पर एक हाफ कुर्ता, हाफ इनर, जाघिया और दाहिने कलाई पर रक्षा मौजूद था।

मृतक के शरीर में ऊपरी और निचले दोनों हिस्सों में मृत्यु पश्चात् अकडन मौजूद थी। मृतक की दिखावट सामान्य नेत्र मुख बन्द थे, नाखून तथा प्राकृतिक द्वार सामान्य थे।

<u>**मृत्यु पूर्व चोटें–**</u>

(I) दाहिने हाथ में कोहनी से 06 सेमी ऊपर डिफारमिटी तथा फ्रेक्चर पाया गया था जिस पर हॉस्पिटल बैंडेज बंधा हुआ था।

(II) बायें पैर के घुटने से 06 सेमी नीचे 02 सेमी X 01 सेमी का फटा हुआ घाव।

(III) दाहिने पैर के घुटने से 06 सेमी नीचे 02 सेमी X 01 सेमी का फटा हुआ घाव।

(IV) बाये सीने में बाये निप्पल से 06 सेमी नीचे 02 सेमी नीलगू सूजन मौजूद था।

<u>**आन्तरिक परीक्षण–**</u> स्कैल्प, स्कल, मस्तिष्क तथा मस्तिष्क की झिल्लियां ग्रीवा, जीभ तथा ग्रसनी कन्ठ नली, थायराइड, हायड बोन, श्वास नली, निगल ये सभी सामान्य थे। बांयी तरफ की चौथी, पांचवी और छठी रिब (पसली) फैक्चर पायी गयी थी। बांयी साइड की प्ल्यूरा फटा हुआ और बांयी प्लूरल कैविटी खून से भरी हुई थी। बांये तरफ का फेफड़ा फटा हुआ था और दाहिना सामान्य था। बड़ी रक्त वाहिका, उदर भित्ति, पेरिटोनियम कैविटी, बडी आंत, स्प्लीन, किडनी और पेल्विक कैविटी सामान्य थे। आमाशय भरा हुआ था तथा पित्त की थैली खाली थी। मेरी राय में मृतक की मृत्यु का सम्भावित समय लगभग 01 दिन था। मेरी राय में मृत्यु का कारण शाक और हैमरेज, जो कि फेफड़े के फटने के कारण था। मेरी राय में मृतक को आयी हुई चोटें किसी सख्त कुंदालय से आना सम्भव है। शामिल पत्रावली कागज संख्या–3अ/13 मूल अभिलेख को देखकर साक्षी द्वारा अपने हस्ताक्षर और लेख की पहचान की गयी, जिस पर **प्रदर्श क–09** डाला गया।''

इस साक्षी ने बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी जिरह में कथन किया है कि मृतक का वायां फेफड़ा फटा हआ था, जिसमे वायी तरफ की पसलियां टूटकर घुसी हुई थी, जिसका परिमाप मैं नहीं लिखा हूं। यह कहना बहुत मुश्किल है कि ये चोटें जमीन पर गिरने से आयी है और मैं यह भी नहीं कह सकता कि यह चोटें गिरने से नहीं आ सकती है। पत्थर पर गिरने से अथवा पत्थर व्यक्ति के ऊपर गिरने से चोटें आना संभव है। अगर जमीन पर पत्थर पड़े और फोर्स के साथ कोई व्यक्ति उस पर गिर पड़े तो यह चोटें आना संभव है। मृतक को कुल चार चोटें आयी हुई थी। पहली चोटें में वाया हाथ फ्रैक्चर था फिर कागज देखकर कहा कि दाहिना हाथ फ्रैक्चर था। चोट सं.–2 व चोट सं–3 सख्त पत्थर या पथरीली जमीन पर गिरने से आना संभव है। चोट सं.–4 पथरीली जमीन पर गिरने से आ सकती है। पोस्टमार्टम करने के समय भोजन अमाशय में सेमी डाइजेस्टेड था। सेमी डाइजेस्टेड भोजन मरने के दो से तीन घ ण्टे पहले किया गया होगा। सेमी डाइजेस्टेड ठोस स्वरूप में था।

47. मृतक बच्चन को मृत्यु पूर्व जो चोटें आयी है उनमें बाए तरफ की चौथी, पांचवी, छठी पसली टूटी पायी गयी है। बायी साइड का फ्लूरा फटा हुआ था और फ्लूरल कैविटी खून से भरी हुई थी। बायी तरफ का फेफड़ा फटा हुआ था। अभियोजन की तरफ से परीक्षित साक्षी पी.डब्लू.–5 राम औतार गोड़ जो कि मृतक बच्चन के साथ उसे घर छोड़ने आ रहा था, ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट कथन किया है कि ''**रात में लौटते समय देर हो चुकी थी, इसलिए मैं भी उन्हें छोड़ने के लिए हाथ में टॉर्च लेकर साथ चला और नदी तक पहुंचा था कि तभी बसखार में से आहट सुनाई पड़ी तब मैं टॉर्च जलाकर देखा तो मुल्जिमान दीनानाथ, रामकेवल, आरकेश, अरूण, रमेश, रघुवर, विमलेष, जटाशंकर, हरिशंकर, राधेश्याम तथा बुद्धि नरायन सभी अपने हाथ में**

लाठी—डण्डा लिये थे तथा नदी की तरफ जा रहे बच्चन धांगर सभी मिलकर मारने लगे, जिससे बच्चन धांगर घायल होकर वहीं पर गिर गये थे। मैं डरवश वहीं झुरमुट में छिपकर घटना को देख रहा था। जब मुल्जिमान बच्चन को मारकर गांव करौंदिया की तरफ गये तो मैं बच्चन को जाकर उठाने का प्रयास किया, लेकिन बच्चन धांगर उठ नहीं पाये तब मैं उनके घर जाकर सूचना दिया तब बच्चन धांगर की पत्नी तथा उनका नाती व उनके गांव के अन्य लोग घटनास्थल पर आये और बच्चन धांगर को उठवाकर उनके घर पहुंचाया गया।" उक्त साक्षी का अपनी मुख्य परीक्षा में दिया गया उपरोक्त साक्ष्य साक्षी पी.डब्लू.—2 चोटहिल सुदेश्वरी के बयान के तारतम्य में है, जिसमें उसने कथन किया है कि घटना दिनांक 09.08.2016 की रात 11 बजे की है। मैं और मेरा नाती घर में सोये थे। दरवाजा पिटने व गाली—गलौज की आवाज सुनाई देने पर मैं और मेरा नाती कलिकदेव बाहर निकले तो दरवाजे पर गांव के रामकेवल, अरूण, आरकेश, रमेश, रघुवर, राधेश्याम, हरिप्रसाद, बुद्धिनरायन, जटाशंकर, विमलेष व दीनानाथ मेरा खपड़ा लाठी—डण्डा से पीट रहे थे। मैं और मेरे नाती ने खपड़ा पीटने से मना किया तो मुल्जिमान मुझे लाठी डण्डा से मारने पीटने लगे। मैं घर के अंदर भागी और कह रहे थे कि तुम लोग जंगल की जमीन, जिस पर तुम लोगों का कब्जा है, उसे छोड़कर भाग जाओ। इसके बाद मुल्जिमान जब वापस हुए तो रास्ते में मेरे पति व राम औतार करमनियां गांव से घर आ रहे थे कि मिल गये और उनकों सभी मुल्जिमान घाघर नदी में छेंककर लाठी—डण्डा व मुक्कों से मारने लगे। जब शोर—गुल की आवाज आने लगी तब मैं घर के पीछे कुछ दूरी से देखी कि सभी लोग एकराय होकर मेरे पति को मार रहे है। मैं डर के मारे अपने पति को बचाने नहीं गयी थी। रात में गांव घर के लोगों के सहयोग से मेरे पति को घर लाया गया। इसी प्रकार साक्षी पी.डब्लू.—3 मालती ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि लगभग 11 बजे रात्रि का समय था कि अचानक नदी की तरफ से हल्ला—गुल्ला चींख पुकार सुनाई पड़ी तब मैं टॉर्च लेकर नदी की तरफ बढ़ी और देखा कि बांस के झुरमुट के पास नदी की तरफ दरमा गांव के बच्चन धांगर को दीनानाथ, रामकेवल, आरकेश, अरूण, रमेश, रघुवर, विमलेष, जटाशंकर, हरिप्रसाद, राधेश्याम व बुद्धिनरायन एकराय होकर अपने हाथों में लिये लाठी—डण्डों से मार रहे थे। मेरे गांव करवनियां के रामऔतार ने मुल्जिमान ने धमकी दिया कि वो भागने लगे। इतने में मैं घटनास्थल के नजदीक पहुंच गयी और टॉर्च की रोशनी में मुल्जिमानों को देखा व पहचाना तथा मुल्जिमान से कहा कि तुम लोग बच्चन धांगर को क्यों मार रहे हो, इसी पर सभी मुल्जिमान एकराय होकर मुझे दौड़ा लिये।

48. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि साक्षी पी.डब्लू.—2 सुदेश्वरी, पी.डब्लू.—3 मालती, पी.डब्लू.—4 कलिकदेव, पी.डब्लू.—5 रामऔतार व पी.डब्लू.—6 रामलाल के बयानों में गंभीर विरोधाभास है। उनका बयान अस्थितर श्रेणी का है तथा विकसित किया गया है। इसलिए उनके बयान विश्वसनीय नहीं रह जाते है। इसके विपरीत विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि साक्षीगण के बयान में कोई अस्थिरता नहीं है। साक्षीगण के बयान विकसित भी नहीं हैं तथा साक्षीगण के बयानों में जो विरोधाभास है वह सुक्ष्म प्रकृति का है और बयानों में आना स्वाभाविक है। उभय पक्ष के उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि साक्षी पी.डब्लू.— 2 व 3 ग्रामीण परिक्षेत्र की अशिक्षित महिलाएं है। साक्षी पी.डब्लू.—5 व 6 भी अशिक्षित व्यक्ति हैं, क्योंकि उनके बयानों में निशानी अंगूठा लगा हुआ है। अतः उक्त साक्षियो ं से विधि के जटिल प्रश्नों पर इस प्रकार के उत्तर देने की अपेक्षा नहीं की जा सकती जिस प्रकार विधि का जानकार व्यक्ति उत्तर दे सकता है। साक्षी पी.डब्लू.—4 कलिक देव की उम्र घटना के

समय लगभग 12 वर्ष रही होगी, ऐसी स्थिति में बालक द्वारा जो घटना देखी गयी है, उससे इतर साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने की संभावना न के बराबर है। उपरोक्त स्थिति में इन गवाहों से यह बिल्कूल उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह बिल्कूल ही सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना को श्रृंखला व शुद्वता के साथ बताये। **विधि व्यवस्था डिम्पल गुप्ता बनाम राजीव गुप्ता ए0 आई0 आर0 2008 सुप्रीम कोर्ट 245** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि, ''एक अशिक्षित देहाती ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह घटना को श्रृंखलाबद्ध तरीके से बताये, अशिक्षित ग्रामीण साक्षी से घटना की तिथि एवं समय की अति तकनीकी आगणन की प्रत्याशा करना न्यायोन्मुख न्याय व्यवस्था का अपमान के समान है। ऐसे साक्षी की दशा में न्यायालय को उसके ग्रामीण पृष्ठभूमि व घटना की परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए और उसके साक्ष्य का मूल्यांकन तार्किक व अति तकनीकी दृष्टिकोण से नहीं करना चाहिए। यदि साक्षी का साक्ष्य अन्यथा सत्य व स्वाभाविक है तो उस पर अविश्वास नहीं किया जाना चाहिए।'' यहीं नहीं साक्षीगण के बयानों में आये विरोधाभास के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा **विधिक दृष्टान्त स्टेट ऑफ एम0पी0 बनाम दल सिंह ए0 आई0 आर0 2013 एस0 सी0 2059** एवं **सुधा रेनू कईय्या बनाम स्टेट ऑफ ए0 पी0 ए0 आई0 आर0 2017 एस0सी0 2124** में अवधारित किया गया है कि ''समयान्तराल के उपरान्त साक्षीगण के कथनों में विरोधाभास स्वाभाविक है। समयान्तराल के उपरान्त साक्षीगण से हू–ब–हू गणितीय रूप से साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने की आशा नहीं की जा सकती है। विरोधाभास तभी महत्वपूर्ण होता है, जब अभियोजन कथानक को पूर्ण रूप से सन्देह की परिधि में खड़ा करता हो, अथवा घटना को अस्वभाविक बनाता हो। छोटे–मोटे विरोधाभास होनें पर, यदि साक्षीगण के बयान की पुष्टि अन्य पुष्टिकारक साक्ष्य से हो रही हो, तब छोटे–मोटे विरोधाभास तुच्छ प्रकार के विरोधाभास की श्रेणी में होते हैं, जिनके आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन कथानक धराशायी नहीं हो जाता है।'' माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **विधि व्यवस्था राकेश बनाम उत्तर प्रदेष सरकार (क्रिमिलनल अपील 556/2021) एल0एल0 2021 एस0सी0 282** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ''मामूली विरोधाभास जो मामले की तह तक नहीं जाते हैं और/या वैसे विरोधाभास जो वास्तविक विरोधाभास न हो, तो ऐसे गवाहों के साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता और/या उस पर अविश्वास नहीं किया जा सकता।'' महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि घटना के समय मृतक बच्चन के साथ चल रहे राम औतार गोड़ ने बतौर पी.डब्लू.–5 अपनी मुख्य परीक्षा में पूर्णतः अभियोजन कथानक का समर्थन किया है, किंतु जिरह स्थगित कराने के पश्चात् जब उससे दिनांक 22.07.2022 व 24.08.2022 को बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी है तो उसमें दूध के स्टली के बाल्टे की नई कहानी प्रस्तुत की है, किंतु जिरह में ऐसा कोई तथ्य निकलकर नहीं आया जिससे उसके साक्ष्य पर पूर्णतः अविश्वास किया जा सके। विधि का यह सिद्धांत है कि यदि किसी साक्षी के बयानों में विरोधाभास है तो उसके सम्पूर्ण बयान को अस्वीकार नहीं किया जायेगा, क्योंकि **"Falsus in Uno Falsus in Omnibus"** का सिद्धांत भारत में लागू नहीं होता है। इस प्रकार उक्त साक्षीगण का बयान अस्थिर नहीं कहा जा सकता तथा साक्षीगण का बयान विकसित बयान भी नहीं कहा जा सकता। साक्षीगण ने जो बयान दिया है वह घ टना के सापेक्ष स्वाभाविक है। उक्त साक्षीगण के बयान में जो विरोधाभास है वह सुक्ष्म प्रकृति का है तथा बयानों में आना स्वाभाविक है। प्रस्तुत मामले में साक्षीगण के साक्ष्य में इस प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है, जिससे अभियोजन कथानक को संदिग्ध माना जाए। इस प्रकार बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के उठाये गये उक्त तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है।

49. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा घटना का कोई हेतुक (Motive) साबित नहीं किया जा सका है क्योंकि घटना जंगल की जमीन को कब्जे को लेकर कारित करना कहा गया है, किंतु जमीन पर कब्जा वादी पक्ष का ही होना बताया गया है। जबकि उक्त तर्क के विपरीत राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित है ऐसी स्थिति में हेतुक का तथ्य औचित्यहीन हो जाता है। उभय पक्ष के उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित है। कथित समय, स्थान व दिनांक पर मुल्जिमानों द्वारा घटना साक्षीगण की उपस्थिति में कारित की गयी है, ऐसी स्थिति में हेतुक सुसंगत नहीं रह जाता है।

बचाव पक्ष के द्वारा अपने सफाई साक्ष्य में सूची 107ख से मु.अ.सं.–494/2009, अं.धारा–395 भा.दं.सं., थाना पन्नूगंज, सोनभद्र की प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति, मु.अ.सं.–788/10, अं.धारा–392, 504, 506 भा.दं.सं., थाना पन्नूगंज की प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति एवं प्रार्थना पत्र सं.–391/2010, अं.धारा–156(3) दं.प्र.सं., बुद्धिनरायन बनाम शम्भूनाथ आदि, मु.अ.सं.–368/2010, अं.धारा–147, 349, 323, 504 भा.दं.सं., थाना पन्नूगंज, सोनभद्र दाखिल की गयी है, जिसके आधार पर यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण की तरफ से वादी मुकदमा शम्भूनाथ के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसकी रंजिश में बदला लेने के लिए उन पर झूठा आरोप लगाया गया है। किंतु उक्त सभी मामलों में मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति दाखिल की गयी है। आगे क्या कार्यवाही हुई, आरोप पत्र उन मामलों में दाखिल हुआ या नहीं, इस संबंध में कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त इस साक्ष्य से अभियुक्तगण के विपरीत की उपधारणा की जा सकती है कि पूर्व में पंजीकृत मुकदमों में सफल न हो पाने के कारण उनके द्वारा वादी मुकदमा की मॉ के साथ मारपीट की गयी तथा पिता को भी मारा पीटा गया, जिसके कारण बाद में वादी के पिता की मृत्यु हो गयी। **विधि व्यवस्था [2024] 4 S.C.R. 94 : 2024 INSC 271 Chandan Vs The State (Delhi Admn.) Criminal Appeal No. 788/2022** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि **"**Lack or Absence of motive is inconsequential when direct evidence establishes the crime.**"**

In Shivaji Genu Mohite v. State of Maharashtra, AIR 1973 SC 55, it was held that it is a well-settled principle in criminal jurisprudence that when ocular testimony inspires the confidence of the court, the prosecution is not required to establish motive. Mere absence of motive would not impinge on the testimony of a reliable eye-witness. Motive is an important factor for consideration in a case of circumstantial evidence. But when there is direct eye witness, motive is not significant. ऐसी स्थिति में उपरोक्त विधि व्यवस्था में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में बचाव पक्ष की ओर से उठाये गये तर्क में कोई बल नहीं पाया जाता है।

50. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतक बच्चन की मृत्यु घाघर नदी में पत्थरों पर काई होने व उस पर फिसलकर गिरने से आयी चोटों के कारण हुई है। इसके विपरीत विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतक को जो चोटें आयी है वह गिरने से आना संभव नहीं है। उभय पक्षों के तर्कों के सापेक्ष मृतक का पंचायतनामा प्रदर्श क–10, जिसमें राय पंचान में मृतक की मृत्यु मारपीट के दौरान आयी चोटों का इलाज कराते समय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चतरा में होना अंकित है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–11, जिसे साक्षी पी.

डब्लू.–10 डॉ. दयाशंकर के द्वारा साबित किया गया, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मेरी राय में मृत्यु का कारण शाक और हैमरेज, जो कि फेफड़े के फटने के कारण था, है। मृतक को आयी चोटें किसी सख्त कुंद आला से आना संभव है। यदि बचाव पक्ष का उक्त तर्क मान भी लिया जाए तो काई पर फिसले से वायी तरफ की चौथी, पांचवी व छठी पसली टूटती है तो उसके साथ वाए और दाए पैर के घुटनों पर फटा हुआ घाव आना संभव प्रतीत नहीं होता। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि कथित रास्ते में काई थी, इसका कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। सफाई साक्ष्य में जो साक्षी परीक्षित कराये गये है उसमें साक्षी डी.डब्लू.–1 मुनेश्वर ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही कथन किया है कि उस दिन बच्चन धांगर उझाई करने राम औतार के घर गये थे जहां पर दारू–मुर्गा भी खाये थे। इस साक्षी के उक्त कथन से ऐसा परीलक्षित होता है कि वह भी खाना खाते समय उपस्थित था। इस साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि मुझे न्यायालय से सम्मन गया था तब मैं गवाही देने के लिए आया हूं। मैं इस बारे में नहीं बता सकता कि मुझे सम्मन गया या नहीं। फाईल जब लगती है तब मैं आता हूं। सुझाव में यह भी कथन किया कि यह कहना सही है कि शम्भू से मेरे संबंध अच्छे नहीं है। साक्षी डी.डब्लू.–2 राम बहाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना अंधेरी रात की थी। बुद्धि नरायन को गांव में सामाजिक आदमी के रूप में जाना जाता है। बचाव पक्ष के साक्षियों ने यदि जिस प्रकार से साक्ष्य प्रस्तुत किया है, घटना को देखा तो उनके द्वारा विवेचना के समय पुलिस को क्यों नहीं बताया गया, यह तथ्य भी उनके साक्ष्य को अविश्वसनीय बना देता है। अभियोजन साक्षियों ने घटना के समय अजौरिया रात होने का कथन किया है। घटना दिनांक 09.08.2016 की रात की बतायी गयी है, जो संवत् 2073 शाके 1938 सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पड़ती है, जिससे यह स्पष्ट है कि घटना चांदनी रात की है। ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को उसकी आवाज चाल–ढ़ाल आदि से पहचानने में सक्षम होता है। टॉर्च की रोशनी से भी देखे जाने का कथन किया गया है। जिस रास्ते से आम आवा–जाही हो उस पर काई होने की संभावना अति क्षीण होती है। इस प्रकार बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क बलहीन पाया जाता है।

51. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा जिस लाठी–डण्डा से मारपीट करना बताया गया है वह विवेचक द्वारा बरामद नहीं किया है। विवेचन दूषित एवं त्रुटिपूर्ण है और ऐसी विवेचना के आधार पर अभियुक्तगण को दण्डित नहीं किया जा सकता। अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्लू.–2, 3, 4 व 5 ने अभियोजन कथानक के सापेक्ष अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में मृतक को लाठी–डण्डा से चोट पहुंचाये जाने तथा उक्त चोटों के परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हो जाने के तथ्य की पुष्टि किया है। ऐसी स्थिति में कथित लाठी–डण्डा आदि की बरामदगी न होने मात्र से अभियोजन कथानक पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि वाद अपने मौलिक साक्ष्य के आधार पर निर्णीत किया जायेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **विधि व्यवस्था खेमराम बनाम हिमांचल राज्य 2018 एस0सी0सी0 पेज 323** में यह मत अभिनिर्धारित किया गया है कि ''विवेचक द्वारा बरती गयी कोई भी अनियमितता या कोई भी त्रुटि अभियोजन कथानक को अस्वीकार योग्य नहीं बना देती है, जबकि यह अन्यथा साबित हो।'' माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अद्यतन **विधि व्यवस्था 2022 Live Law (SC) 851 CRIMINAL APPEAL NOS. 1750-1751 OF 2022** में माननीय न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि ''हथियार की बरामदगी के अभाव में भी अभियुक्त को

दोषसिद्ध किया जा सकता है, यदि साक्षीगण के बयान से अभियोजन कथानक सिद्ध होता हो।'' अतः बचाव पक्ष के उक्त तर्क में कोई बल नहीं पाया जाता है।

52. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तथ्य के साक्षीगण पी.डब्लू.–1, 2, व 4 हितबद्ध साक्षी है, जो एक ही परिवार के है। उनके द्वारा हितबद्धता के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध घटना में अभियुक्तगण की संलिप्तता के संबंध में बयान दिया गया है। अतः उनके बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अभियोजन पक्ष द्वारा इसके विपरीत तर्क दिया गया कि स्वतंत्र साक्षियों के बयान से भी अभियोजन कथानक का समर्थन होता है। उभय पक्षों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिससे विदित होता है कि साक्षी पी.डब्लू.–1 वादी मुकदमा मृतक का पुत्र, साक्षी पी.डब्लू.–2 सुदेश्वरी मृतक की पत्नी एवं चोटहिल साक्षी है तथा साक्षी पी.डब्लू.–4 कलिकदेव भी चक्षुदर्शी साक्षी है, जो कि मृतक का पोता है और घ ाटना के समय नाबालिग था। घटना ग्रामीण क्षेत्र की है। यह स्थापित विधि है कि मात्र हितबद्ध होने के कारण किसी साक्षी का साक्ष्य अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। साक्षीगण स्वयं भी चोटहिल है। ग्रामीण परिवेश में सामान्यतः लोग गवाही देने से बचते है। माननीय न्यायालय द्वारा विधि दृष्टान्त **ललतू घोष बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2019 एस0सी0 1058, श्यामल घोष बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2012, एस0सी0 3539 एवं सुधाकर उर्फ सुधासरन बनाम स्टेट 2018 एस0सी0 1372** में इस सिद्धान्त की पुष्टि की गयी है कि यदि विश्वसनीय साक्षी, हितेषी साक्षी है और अभियुक्त के विरूद्ध दोषारोपण करता है, तब भी यह कहना उचित नहीं हो सकता कि वह वास्तविक अपराधी को बचा रहा है और निर्दोष व्यक्ति को फंसा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **अशोक कुमार चौधरी बनाम स्टेट ऑफ बिहार 2008 (61) ए0सी0सी0 972** में यह विधि व्यवस्था दी गयी है कि आपराधिक विचारण में किसी साक्षी का साक्ष्य मात्र इस आधार पर तिरस्कृत नहीं किया जा सकता कि साक्षीगण पीड़ित के पारिवारिक सदस्य हैं। इस प्रकार उपरोक्त विधि व्यवस्था में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में बचाव पक्ष की ओर से हितबद्धता के सम्बन्ध में दिया गया तर्क बलहीन पाया जाता है।

53. बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि मामले में आरोप–पत्र के सभी गवाहों को परीक्षित नहीं कराया गया है, इसलिए साक्षीगण का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। जबकि विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा उक्त तर्क के विपरीत तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि सभी साक्षियों को परीक्षित कराना आवश्यक नहीं है। मामले में साक्षीगण की संख्या महत्व नहीं रखता, बल्कि साक्ष्य की गुणवत्ता महत्व रखता है, ऐसे में सभी साक्षियों को परीक्षित न कराये जाने से अभियुक्तगण को कोई लाभ नहीं मिलता है। उभय पक्ष के उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन पक्ष द्वारा सभी साक्षीगण को परीक्षित न कराये जाने के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय का विधिक सिद्धान्त **गोसू जयराम रेड्डी बनाम स्टेट ऑफ ए0 पी0, ए0 आई0 आर0 2011, एस0सी0, 3147** का अवलोकन किया गया। उक्त विधि व्यवस्था मे माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया गया है कि– "It is well-settled that every witness that the prosecution may have listed in the charge-sheet need not be examined. It is entirely in the discretion of the Public Prosecutor to decide as to how he proposes to establish his case and which of the listed witnesses are essential for unfolding the prosecution story. Simply because more than one witnesses have been cited to establish the very same fact is no reason why the prosecution must examine all of them."

इस प्रकार उपरोक्त विधिक सिद्धान्त से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष, अपने

कथानक की पुष्टि हेतु किस साक्षी को परीक्षित कराना चाहता है, यह उसका विशेषाधिकार है। धारा 134 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार किसी तथ्य को सिद्ध करने हेतु साक्ष्य की गुणवत्ता देखी जानी चाहिये, न कि साक्षीगण की संख्या। प्रस्तुत मामले में अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य से अभियुक्तगण की संलिप्तता की पुष्टि होती है। ऐसी स्थिति में आरोप–पत्र के किसी अन्य साक्षी को परीक्षित न कराया जाना अभियोजन पक्ष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता। अतः बचाव पक्ष का उपरोक्त तर्क बलहीन है।

54. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है और सोच समझकर अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसके विपरीत विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज किया जाना अभियोजन के लिए घातक नहीं है, यदि विलम्ब का पर्याप्त स्पष्टीकरण हो, उभय पक्षों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया। घटना दिनांक 09.08.2016 की रात्रि ग्राम दरमा, थाना रामपुर बरकोनिया की है और प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 10.08.2026 को 11 बजे पंजीकृत की गयी है। घटना ग्रामीण परिक्षेत्र की है। जनपद सोनभद्र एक विस्तृत क्षेत्रफल वाला पर्वतीय जिला है, जहां पर विकसित क्षेत्र कम है और अधिकांश आबादी तक पहुंचने के लिए सुगम रास्ते भी नहीं है। वादी मुकदमा घटना के समय घर पर नहीं था और जब वह दिनांक 10.08.2016 को आया है तो चोटहिलों को थाने ले जाकर तहरीर दिया है जिसके उपरांत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विलम्ब स्वभाविक है और उक्त विलम्ब का पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया गया है। विधि व्यवस्था **तारा सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब, ए.आई.आर. 1991, सुप्रीम कोर्ट 63** एवं **साहेब राव व अन्य बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्र (2006) 9 एस.सी.सी 794** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त मत व्यक्त किया गया है। अतः बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का उपरोक्त तर्क भी बलहीन पाया जाता है।

55. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक अन्य तर्क यह भी प्रस्तुत किया गया कि तहरीर पर बादी मुकदमा के हस्ताक्षर नहीं है, जो साक्ष्य में ग्राहय नहीं है। इसके विपरीत अभियोजन की तरफ से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहरीर स्वयं वादी के हस्तलेख में है और उसी के हस्ताक्षर है। इस संबंध में वादी मुकदमा ने बतौर साक्षी पी. डब्लू.–1 तहरीर को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया है तथा यह कथन किया है कि ''सुबह जब मैं 8 बजे घर पहुंचा तो मेरे पिता बच्चन ने घटना के बारे में मुझे जानकारी दिया, इसके बाद मैं मालती देवी व रामऔतार गोड़ से घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद अपने पिता, माता व मालती देवी को प्रार्थना पत्र लिखकर साथ में थाना रामपुर बरकोनिया गया था। जिरह में भी इस साक्षी ने कथन किया है कि एफ.आई.आर. की तहरीर मैंने अपने हाथ से लिखा था। मुझे थाने के किसी मुंशी ने नहीं बताया था। मैंने खुद से लिखकर तहरीर दिया था।'' प्रथम दृष्टया तहरीर पर जिस प्रकार का हस्ताक्षर है उसी प्रकार का हस्ताक्षर वादी ने अपने बयान एवं आदेश पत्रों पर भी किया है। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष का यह तर्क कि तहरीर वादी द्वारा नहीं लिखी गयी है, बलहीन पाया जाता है।

56. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने सफाई साक्ष्य में सूची 107ख से दाखिल इस मामले के किशोर अपचारी आरकेश के विरूद्ध किशोर न्याय बोर्ड, सोनभद्र में विचाराधीन प्रकरण सं.–53/2016, राज्य बनाम आरकेश उर्फ राकेश धांगर में वादी मुकदमा शम्भूनाथ, सुदेश्वरी, रामलाल, मालती, कलिकदेव एवं राम औतार के बयानों की सत्यप्रतियां दाखिल की है और उनके आधार पर इस न्यायालय में उक्त साक्षियों के

बयानों में आए विरोधाभास को आधार बनाकर तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन की तरफ से परीक्षित साक्षीगण का साक्ष्य विरोधाभासी है और विश्वसनीय नहीं है। उक्त तर्क के संबंध में उल्लेखनीय है कि किसी भी व्यक्ति का साक्ष्य किसी विशेष व्यक्ति के विरूद्ध ही पढ़ा जा सकता है। उनमें आए किसी भी व्यतिक्रम अथवा अंतर्विरोध का लाभ किसी अन्य मामले में भले ही वह उसी अपराध से संबंधित हो, जो अन्य न्यायालय में विचाराधीन है, उस वाद में ग्राहय नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि यदि किसी व्यक्ति से जितनी बार एक ही प्रश्न पूछा जाए तो स्वभाविक है कि उसके उत्तर में कुछ–न–कुछ भिन्नता जरूर आयेगी। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **स्टेट आफ यू.पी. बनाम कृष्णा मास्टर व अन्य (2010) 12 एस.सी.सी.324** में अवधारित किया गया है कि– Rustic witness subjected to fatiquing cross examination is bound to get confused. Miner discrepencies in their testimony should not be bloun out of proportion, as to do so ignores hard rural relities. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **संपत कुमार बनाम पुलिस इंस्पेक्टर कृष्णा गिरि (2012) 4 एस.सी.सी.124** में अवधारित किया गया है कि "Miner contradiction are bound to appear in the statements of truthful witness as memory sometimes plays fault and sense of observation differs from person to person." इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा विधि व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क बलहीन पाया जाता है।

57. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम करने वाले साक्षी पी.डब्लू.–10 डॉ. दयाशंकर के बयानों में पोस्टमार्टम के समय मृतक के अमाशय में सेमी डायजेस्टेड भोजन होने के आधार पर तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतक ने भोजन दिनांक 09.08.2016 की रात उसके साथ मारपीट किये जाने से पहले 11 बजे के करीब खाया था और पोस्टमार्टम दिनांक 10.08.2016 को 7:30 पी.एम तक किया गया है और उस समय तक भोजन पच जाना चाहिए था किंतु मृतक के अमाशय में ठोस अधपचा भोजन मिला है, जिससे उसके साथ घटित घटना संदेहास्पद हो जाती है। बचाव पक्ष के उक्त तर्क के संबंध में उल्लेखनीय है कि किसी भी व्यक्ति के भोजन का पाचन उसकी शारीरिक क्षमता व अरोग्यता पर निर्भर करता है। मजरूब बच्चन की मृत्यु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चतरा पर दोपहर के समय हुई है। रात से अस्पताल लाये जाने पर मृतक ने कुछ खाया या नहीं, इस संबंध में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किसी भी तथ्य के साक्षी से कोई प्रश्न जिरह में नहीं किया गया है। विधि व्यवस्था **शार्दूल सिंह व अन्य बनाम स्टेट आफ पंजाब 1993 सप्लीमेंटरी (3) एस.सी.सी. 678** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि– The Hon'ble apex court has ovsered that stomach contents can't be ditermined with precision at the time of death. Semi-digested food was found in stomach of deceased and illiterate witnesses stated that deceased took her meal immediately before the occurrence can't by itself be a circumstance to dicredit their evidence. इस प्रकार मृतक के अमाशय में अधपचा भोजन होने मात्र से अभियुक्तगण के द्वारा मृतक के साथ कारित घटना को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता और बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क बलहीन पाया जाता है।

58. बचाव पक्ष की तरफ से प्रस्तुत सम्मानित विधि व्यवस्थों के तथ्य व परिस्थितियां वर्तमान मामले के तथ्य व परिस्थितियों से भिन्न होने के कारण, इसका कोई लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त नहीं होता है।

59. जहां तक भारतीय दण्ड संहिता की धारा–427 के आरोप का प्रश्न है। अभियुक्तगण द्वारा कितनी धनराशि का नुकसान खपड़ा फोड़कर किया गया, इसका कोई साक्ष्य अभियोजन की तरफ से परीक्षित साक्षियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे धारा–427 भा.दं.सं. का अपराध युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है।

60 जहां तक भारतीय दण्ड संहिता की धारा–504 व 506 के तहत आरोप विरचित किये जाने का प्रश्न है, के संबंध में पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क–16 अंतर्गत धारा–147, 323, 325, 427 व 304 भा.दं.सं. के तहत है, परंतु विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र द्वारा सत्र सुपुर्दगी आदेश दिनांक 18.11.2016 में धारा–504 व 506 भा.दं.सं. का भी उल्लेख किया गया है। विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा विरचित आरोप दिनांकित 04.07.2017 में भी धारा–504 व 506 भा.दं.सं. के तहत आरोप विरचित किया गया है। अभियुक्तगण की तरफ से सम्पूर्ण साक्ष्य के दौरान उक्त के संबंध में कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं की गयी है। अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तोवजी साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा व उसके परिवार के साथ लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से क्या कार्य किया गया इस संबंध में कोई विशेष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक अभित्रास जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा–503 में परिभाषित है, का अपराध किस प्रकार से कारित किया गया, के संबंध में कोई विशेषीकृत साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। अतः अभियुक्तगण पर लगाये गये आरापे अंतर्गत धारा–504, 506 भा.दं.सं. भी संदेह से परे साबित नहीं होते है।

61. इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण के बयान तथा उनसे की गयी जिरह व उनके बयान पर उठाये गये बचाव पक्ष के तर्क व उद्धत विधि व्यवस्थाओं के आधार पर अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण **1. बुद्धिनरायन धांगर, 2. रमेश धांगर, 3. दीनानाथ धांगर, 4. राधे उर्फ राधेश्याम धांगर, 5. अरूण धांगर, 6. हरिप्रसाद, 7. रघुवर धांगर, 8. विमलेश उर्फ अनिल व 9. जटाशंकर धांगर** द्वारा दिनांक 09.08.2016 की रात लगभग 11 बजे विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य के रूप में बलबा कारित किया तथा वादी मुकदमा के घर पर जाकर उसके मुख्य दरवाजे के ऊपर खपड़ा फोड़ना शुरू कर दिया जब वादी की माता सुदेश्वरी अपने नाती कलिकदेव के साथ घर से बाहर निकली और अभियुक्तगण को ऐसा करने से रोका गया तो उसके साथ मार पीट की गयी। सुदेश्वरी से अभियुक्तगण द्वारा यह पूछे जाने पर की उसका पति बच्चन कहा है, जब उसके द्वारा यह बताया गया कि वह गांव करवनियां की तरफ गये है। तब अभियुक्तगण बच्चन को तलाश करते हुए घाघर नदी की तरफ गये जहां पर बच्चन के मिलने पर उसके साथ अभियुक्तगण द्वारा मार पीट की गयी, जिससे घायल होकर बच्चन वहीं पर गिर गया और दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त कार्य ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया, जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य हो। अभियुक्तगण द्वारा मालती के साथ लाठी–डण्डों से मारपीट की गयी, जिससे उसके हाथ में फ्रैक्चर आ गया। अभियोजन कथानक के सापेक्ष अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत साक्ष्य स्वभाविक व विश्वसनीय है। अभियुक्तगण बुद्धिनरायन, रमेश, दिनानाथ, अरूण, राधे, हरि प्रसाद, जटाशंकर, रघुवर व विमलेश के विरूद्ध लगाये गये आरोप अं.धारा–147, 323, 325, 304 सपठित धारा–149 भा.दं.सं. को अभियोजन पक्ष पर्याप्त व विश्वसनीय साक्ष्य से संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

62. पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य के अधिमूल्यन के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष की है कि अभियोजन पक्ष **1. बुद्धिनरायन धांगर, 2. रमेश धांगर, 3. दीनानाथ**

धांगर, 4. राधे उर्फ राधेश्याम धांगर, 5. अरूण धांगर, 6. हरिप्रसाद, 7. रघुवर धांगर, 8. विमलेश उर्फ अनिल व 9. जटाशंकर धांगर के विरूद्ध लगाये गये आरोप **अं.धारा–147, 323, 325, 304 सपठित धारा–149 भा.दं.सं.** को ठोस, पर्याप्त व विश्वसनीय साक्ष्य से युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है।

63. अतः अभियुक्तगण 1. बुद्धिनरायन धांगर, 2. रमेश धांगर, 3. दीनानाथ धांगर, 4. राधे उर्फ राधेश्याम धांगर, 5. अरूण धांगर, 6. हरिप्रसाद, 7. रघुवर धांगर, 8. विमलेश उर्फ अनिल व 9. जटाशंकर धांगर **धारा–147, 323, 325, 304 सपठित धारा–149 भा.दं.सं. के तहत दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।**

64. अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये आरापे अंतर्गत धारा–427, 504, 506 भा.दं.सं. युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित नहीं होने के कारण अभियुक्तगण को उक्त धाराओं में लगाये गये आरापों से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

–आदेश–

65. अभियुक्तगण **1. बुद्धिनरायन धांगर, 2. रमेश धांगर, 3. दीनानाथ धांगर, 4. राधे उर्फ राधेश्याम धांगर, 5. अरूण धांगर, 6. हरिप्रसाद, 7. रघुवर धांगर, 8. विमलेश उर्फ अनिल व 9. जटाशंकर धांगर** को आरोप अन्तर्गत धारा–**147, 323, 325, 304 सपठित धारा–149 भा.दं.सं.** के तहत **दोषसिद्ध** किया जाता है।

66. अभियुक्तगण उपरोक्त को आरोप अं.धारा–427, 504, 506 भा.दं.सं. से संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

67. अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके बन्ध पत्र एवं प्रतिभू पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण बुद्धिनरायन धांगर, रमेश धांगर, दीनानाथ धांगर, राधे उर्फ राधेश्याम धांगर, अरूण धांगर, हरिप्रसाद, रघुवर धांगर, विमलेश उर्फ अनिल व जटाशंकर धांगर को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जावे।

68. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सजा के बिन्दु पर आज ही सुनवाई कर दण्डादेश पारित किये जाने की प्रार्थना की गयी। अतः पत्रावली सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु लन्च बाद पेश हो।

(हरिकेश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, (एफ.टी.सी.), 14वॉ
वित्त आयोग/विशेष न्यायाधीश,
(गैंगस्टर एक्ट), सोनभद्र
जे.ओ. कोड–यू.पी. 1822

दिनांक 10.07.2026

दिनांक 10.07.2026
लंच बाद।

69. पत्रावली लन्च बाद दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हुई। दोषसिद्ध **बुद्धिनरायन धांगर, रमेश धांगर, दीनानाथ धांगर, राधे उर्फ राधेश्याम धांगर, अरूण धांगर, हरिप्रसाद, रघुवर धांगर, विमलेश उर्फ अनिल व जटाशंकर धांगर** न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। दण्ड के प्रश्न पर दोषसिद्ध अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना गया।

70. दोषसिद्ध अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोषसिद्ध अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है। अभियुक्त विमलेश धांगर व अरूण धांगर की उम्र 28 वर्ष है, जिनके सुधार की संभावना है। अभियुक्तगण रघुवर धांगर, जटाशंकर धांगर की उम्र 55 वर्ष है जो बीमार भी रहते है। सभी अभियुक्तगण अत्यंत गरीब है। अतः उन्हें कम से कम दण्ड से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गयी।

71. राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोषसिद्ध अभियुक्तगण द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में एकराय होकर बलबा कारित किया गया तथा वादी मुकदमा की माता के साथ मारपीट की गयी, उसके पश्चात् वादी मुकदमा के पिता के साथ भी मारपीट की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दौरान इलाज चोटहिल बच्चन की मृत्यु हो गयी। बच्चन को बचाने आयी मालती के साथ भी अभियुक्तगण द्वारा मारपीट की गयी, जिससे उसका हाथ टूट गया। अभियुक्तगण जंगल की जमीन के कब्जे को लेकर वादी व उसके परिवार से रंजिश रखते है। यदि इन्हें कम सजा दी गयी तो वे पुनः बदला लेने के उद्देश्य से अपराध कारित कर सकते है। अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किये जाने की मांग की गयी।

72. मैनें उभय पक्ष का तर्क सुना एवं मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों पर गौर किया।

73. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **स्टेट ऑफ एम0पी0 बनाम नजब खान एवं अन्य ए0 आई0 आर0 1913 सुप्रीम कोर्ट 2013 पेज 2997** में अवधारित किया है कि किसी अपराधी को समुचित दण्ड देते समय न्यायालय का अभियुक्त के व्यक्तिगत हित एवं सम्पूर्ण समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के मध्य एक सन्तुलन स्थापित करना चाहिए तथा पड़ने वाले व्यापक प्रभाव को ज्यादा महत्व देना चाहिए।

74. सजा देते समय न्यायालय को आपराधिक प्रवृत्ति, हेतुक, अपराध का समाज पर प्रभाव, अभियुक्त की संलिप्तता, समाज की संरचना एवं सभी तत्वों पर विचार करना चाहिए। दोषसिद्ध **बुद्धिनरायन धांगर, रमेश धांगर, दीनानाथ धांगर, राधे उर्फ राधेश्याम धांगर, अरूण धांगर, हरिप्रसाद, रघुवर धांगर, विमलेश उर्फ अनिल व जटाशंकर धांगर** को धारा—147, 323, 325, 304 सपठित धारा—149 भा.दं.सं. के आरोप में दोषसिद्ध किया गया है।

75. अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय के विचार में दोषसिद्ध बुद्धिनरायन धांगर, रमेश धांगर, दीनानाथ धांगर, राधे उर्फ राधेश्याम धांगर, अरूण धांगर, हरिप्रसाद, रघुवर धांगर, विमलेश उर्फ अनिल व जटाशंकर धांगर को **धारा—304 भा0दं0सं0** के अपराध में प्रत्येक को 10—10 वर्ष (दस—दस वर्ष) के कठोर कारावास एवं मु0—6000—6000/— रुपये (छः—छः हजार रुपये) के अर्थदण्ड से एवं

धारा–323 भा0दं0सं0 के अपराध में प्रत्येक को 06–06 माह (छः–छः माह) के साधारण कारावास एवं मु0–500–500/– रुपये (पाँच–पाँच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से एवं **धारा–325 भा0दं0सं0** के अपराध में प्रत्येक को 03–03 वर्ष (तीन–तीन वर्ष) के साधारण कारावास एवं मु0–1000–1000/– रुपये (एक–एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से एवं **धारा–147 भा0दं0सं0** के अपराध में प्रत्येक को 01–01 वर्ष (एक–एक वर्ष) के साधारण कारावास एवं मु0–500–500/– रुपये (पांच–पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा, जिससे न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

–दण्डादेश–

76. दोषसिद्ध **1. बुद्धिनरायन धांगर, 2. रमेश धांगर, 3. दीनानाथ धांगर, 4. राधे उर्फ राधेश्याम धांगर, 5. अरूण धांगर, 6. हरिप्रसाद, 7. रघुवर धांगर, 8. विमलेश उर्फ अनिल व 9. जटाशंकर धांगर** को **धारा–304 भा0दं0सं0** के अपराध में प्रत्येक को **10–10 वर्ष (दस–दस वर्ष) के कठोर कारावास एवं मु0–6000–6000/–रुपये (छः–छः हजार रुपये) के अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक दोषसिद्ध को 02–02 माह (दो–दो माह) का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भोगना होगा।

77. दोषसिद्ध बुद्धिनरायन धांगर, रमेश धांगर, दीनानाथ धांगर, राधे उर्फ राधेश्याम धांगर, अरूण धांगर, हरिप्रसाद, रघुवर धांगर, विमलेश उर्फ अनिल व जटाशंकर धांगर को **धारा–323 भा0दं0सं0** के अपराध में प्रत्येक को **06–06 माह (छः–छः माह) के साधारण कारावास एवं मु0–500–500/–रुपये (पाँच–पाँच सौ रुपये) के अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक दोषसिद्ध को 05–05 दिन (पाँच–पाँच दिन) का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भोगना होगा।

78. दोषसिद्ध बुद्धिनरायन धांगर, रमेश धांगर, दीनानाथ धांगर, राधे उर्फ राधेश्याम धांगर, अरूण धांगर, हरिप्रसाद, रघुवर धांगर, विमलेश उर्फ अनिल व जटाशंकर धांगर को **धारा–325 भा0दं0सं0** के अपराध में प्रत्येक को **03–03 वर्ष (तीन–तीन वर्ष) के साधारण कारावास एवं मु0–1000–1000/–रुपये (एक–एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक दोषसिद्ध को 10–10 दिन (दस–दस दिन) का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भोगना होगा।

79. दोषसिद्ध बुद्धिनरायन धांगर, रमेश धांगर, दीनानाथ धांगर, राधे उर्फ राधेश्याम धांगर, अरूण धांगर, हरिप्रसाद, रघुवर धांगर, विमलेश उर्फ अनिल व जटाशंकर धांगर को **धारा–147 भा0दं0सं0** के अपराध में प्रत्येक को **01–01 वर्ष (एक–एक वर्ष) के साधारण कारावास एवं मु0–500–500/–रुपये (पांच–पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक दोषसिद्ध को 05–05 दिन (पांच–पांच दिन) का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भोगना होगा।

80. दोषसिद्ध द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी तथा सभी सजाएं साथ–साथ चलेगी।

81. अधिरोपित जुर्माने की कुल धनराशि में से पचास प्रतिशत (50 प्रतिशत) धनराशि बच्चन (मृतक) की पत्नी सुदेश्वरी को पति एवं उसके पुत्र शम्भूनाथ को पिता के वियोग में हुई मानसिक क्षति के प्रतिकर के रूप में प्रदान की जायेगी।

82. दोषसिद्ध का सजायावी वारण्ट बनाकर जिला कारागार, सोनभद्र भेजा जाय।

83. दोषसिद्ध बुद्धिनरायन धांगर, रमेश धांगर, दीनानाथ धांगर, राधे उर्फ राधेश्याम धांगर, अरूण धांगर, हरिप्रसाद, रघुवर धांगर, विमलेश उर्फ अनिल व जटाशंकर

धांगर को निर्णय की एक–एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जाए। दोषसिद्ध को अपील के अधिकार से अवगत कराया गया।

84. धारा 365 दं0प्र0सं0 के तहत निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र को भेजा जाए।

(हरिकेश कुमार)
दिनांक 10.07.2026 अपर सत्र न्यायाधीश, (एफ.टी.सी.), 14वॉ
वित्त आयोग/विशेष न्यायाधीश,
(गैंगस्टर एक्ट), सोनभद्र
जे.ओ. कोड–यू.पी. 1822

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

(हरिकेश कुमार)
दिनांक 10.07.2026 अपर सत्र न्यायाधीश, (एफ.टी.सी.), 14वॉ
वित्त आयोग/विशेष न्यायाधीश,
(गैंगस्टर एक्ट), सोनभद्र
जे.ओ. कोड–यू.पी. 1822